

[Published in Part IV of the "Madhya Pradesh Rajpatra",
dated the 24th May 1968]

मध्यप्रदेश शासन

शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक १३ फरवरी १९६८.

क्र. ३२७-४३०२-बीस-५-टेक—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०६ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा तकनीकी शाखा में भरती संबंधी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

२. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—ये नियम, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) भरती नियम, १९६७ कहलायेंगे.

ये नियम, "मध्य प्रदेश राजपत्र" में अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

३. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य राज्य शासन से है;
- (ख) "आयोग" से तात्पर्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से है;
- (ग) "शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है;
- (घ) "राज्यपाल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है;
- (ङ) "अनुसूची" से तात्पर्य, इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है;
- (च) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जन जाति" का वही अर्थ होगा, जो कि उनके लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खंड (२४) तथा (२५) में क्रमशः दिया गया है, तथा इसका तात्पर्य ऐसी जातियों और जन-जातियों से है, जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में घोषित की जायं;
- (छ) "सेवा" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा तकनीकी शाखा से है;
- (ज) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है.

४. विस्तार तथा प्रयुक्ति.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य बातें), १९६१ में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

५. सेवा का गठन:—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

- (१) वे व्यक्ति, जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची एक में उल्लिखित पद मूलतः धारण कर रहे हों;
- (२) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों; और
- (३) वे व्यक्ति, जो कि इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, सेवा में भरती किये गये हों.

६. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उसका वेतनमान और सेवा में शामिल पदों की संख्या, इससे संलग्न अनुसूची एक में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होगी :

परन्तु शासन, सेवा में शामिल पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगा.

७. भरती का तरीका.—(१) इन नियमों के प्रारम्भ के बाद, सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

- (क) चयन करके सीधी भरती द्वारा;
- (ख) मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा के सदस्यों की निम्न पद संवर्ग से उच्च पद संवर्ग में पदोन्नति द्वारा;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में मूल रूप से ऐसे पद धारण करते हों, जैसा कि इस संबंध में उल्लिखित किया जाये.

(२) उपनियम (१) के खंड (ख) तथा (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(३) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भरती को किसी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा की किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अनुसूची क्रमांक (दो) के अनुसार होगी, किंतु ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं, जहां किसी निश्चित प्रतिशत को कड़ाई से अपनाता संभव न हो सके उदाहरणार्थ यदि केवल ३ ही पद हों, और उनमें से ५० प्रतिशत पद सीधी भरती द्वारा और ५० प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने हों, तो सीधी भरती और पदोन्नति से भरती के लिये पदों का विभाजन क्रमशः १:२ रहेगा. अतः पदोन्नति के लिये विभागीय उम्मीदवारों को इस शर्त के अधीन अधिमान दिया जाना चाहिये कि विभाग में उपयुक्त और अर्हता प्राप्त उम्मीदवार विद्यमान हों, अन्यथा पदोन्नति हेतु सुरक्षित पद भी सीधी भरती द्वारा ही भरे जायेंगे.

(४) उपनियम (१) में दी गई किसी बात के होते हुये भी, यदि शासन की राय में सेवा की अपेक्षितताओं को देखते हुये, ऐसा करना जरूरी हो तो शासन, आयोग से परामर्श करने के बाद सेवा में भरती करने संबंधी उन तरीकों को छोड़, जिनका कि उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित करे.

८. सेवा में नियुक्ति.—(१) इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में सभी नियुक्तियां शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम ७ में उल्लिखित भरती के किसी भी तरीके से प्रारम्भ करने के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से नहीं की जाएगी.

(२) भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति के अनुसार सिविल यांत्रिक (मैकेनिकल), विद्युत् (इलेक्ट्रिकल), खसिकर्म (आर्किटेचर), दूर संचार (टेली कम्युनिकेशन), या इलेक्ट्रोनिक्स की शाखाओं में स्थापना तकनीकी (प्रथम श्रेणी) के स्थायी या अस्थायी पदों पर इन नियमों के अनुसार भरती किये गये

व्यक्तियों को अपेक्षित किये जाने पर भारत में या विदेश में कहीं भी प्रतिरक्षा सेवाओं में या प्रतिरक्षा प्रयासों से संबंधित निर्माण कार्यों में कम से कम ४ वर्ष की अवधि के लिये, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि भी सम्मिलित है, सेवा करनी होगी।

६. सीधी भरती की पात्रता की शर्त—उम्मीदवार को चयन के लिए पात्र होने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्—

(१) आयु (क) चयन प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहिली जनवरी को उसने (अनुसूची तीन के खाने ३ में निर्दिष्ट) आयु पूरी कर ली हो, किंतु (अनुसूची तीन के खाने ४ में) निर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो, तो अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ग) उन उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में जो कि मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे उल्लिखित सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट दी जाएगी—

(एक) शिक्षा विभाग के स्थायी अध्यापकों को अपनी आयु में से अपने द्वारा शासकीय संस्था में अध्यापन कार्य में व्यतीत की गई कुल अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह पद के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक न हो।

(दो) अस्थायी शासकीय कर्मचारियों की आयु उस पद के संबंध में जिसके लिये अधिकतम आयु सीमा ३० वर्ष निर्धारित की गई हो, ३५ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(तीन) जो उम्मीदवार छूटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उस द्वारा पहिले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक ७ वर्ष तक की अवधि भुले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण—“छूटनी किये गये शासकीय कर्मचारी” शब्दों से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य या संघटक इकाइयों में से किसी भी इकाई की शासकीय सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो और जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवानिवृत्त किया गया हो।

(चार) जो उम्मीदवार, भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहिले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(पांच) वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों अर्थात्, उन स्वर्णकारों के मामले में जिनके पास श्रम विभाग के नाम पर क्रमांक ३३४५-४००५-सोलह, दिनांक ७ मई, १९६३ के अनुसार पहचान-पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा में ३५ वर्ष तक की छूट दी जायेगी, यह उन पदों के संबंध में ही लागू होता है जिनके लिये अधिकतम आयु ३० वर्ष ही।

स्पष्टीकरण—“भूतपूर्व सैनिक” शब्दों से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित किस्में भी प्रवर्ग में रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक सेवा करता रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व भित्तव्ययिता मुनिट की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण

छटनी की गई हो, अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो:—

- (१) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समयपूर्व निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;
- (२) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें कि द्वारा भरती किया गया हो, और (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर, (ख) भरती संबंधी शर्तें पूरी हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो;
- (३) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;
- (४) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें अनुबंध पूरा होने पर सेवा मुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);
- (५) ऐसे अधिकारी, जिन्हें कि अवकाश रिक्तियों पर, छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो);
- (६) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गये भूतपूर्व सैनिक;
- (७) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि वे सक्षम सैनिक बनने के योग्य नहीं रहे;
- (८) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने के कारण तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सा-मंडल की सिफारिशों के अनुसार सेवा से अलग कर दिया गया हो;

टीप:—उपर्युक्त कडिका ६ (एक) (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के लिये चुना गया हो, वे यदि आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के बाद या चयन होने के पहिले या बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदनपत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाये, तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे;

विभागीय उम्मीदवारों को चयन के हेतु प्रस्तुत होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(२) शैक्षणिक अर्हताएं:—उसके पास सेवा के लिये निर्धारित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये, जो कि अनुसूची तीन में दर्शायी गई हैं; परन्तु—

(क) आपवादिक मामलों में आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे उम्मीदवार को, अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकेगी, जिसके पास भले ही इस खंड में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो, किंतु जिसने किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित परीक्षाएं एक स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो आयोग की राय में उम्मीदवार को चयन के लिये विचार करने हेतु उचित मानी गई हों;

(ख) ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में भी जो अन्यथा अर्हता प्राप्त हों, किंतु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हों, जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हों, आयोग के विवेकानुसार, चयन के लिये विचार किया जा सकेगा;

(३) फीस.—उसे आयोग द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान अवश्य करना होगा।

१०. अनर्हता.—उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये, किसी भी जरिये से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी प्रयास आयोग द्वारा चयन करने के संबंध में अनर्हता माना जायेगा।

११. उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा.—चयन के संबंध में किसी भी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

१२. चयन द्वारा सीधी भरती.—(१) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसी अन्तरावधियों में किया जायेगा, जिन्हें कि शासन, समय-समय पर आयोग से परामर्श कर निर्धारित करे।

(२) सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन, आयोग द्वारा उनसे प्रत्यक्ष भेंट करने के बाद किया जायेगा।

(३) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्त स्थानों में से १५ प्रतिशत तथा १८ प्रतिशत, स्थान तथा पिछली बार के अवशिष्ट स्थान, यदि कोई हों, क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित-जन-जातियों के लिये रक्षित रखे जायेंगे।

(४) इस प्रकार रक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नियम-१३ में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों, के क्रम के अनुसार किया जायेगा। चाहे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान कुछ भी बुरा न हो।

(५) ऐसे उम्मीदवारों को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के हों, और जिन्हें आयोग द्वारा प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने की दृष्टि से सेवा में नियुक्ति करने के लिये योग्य ठहराया गया हो, उन नियम (३) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(६) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार, उनके लिये रक्षित सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में न मिल सकें, तो शेष रिक्त स्थान अन्य उम्मीदवारों में से भरे जायेंगे, तथा अगले चयन के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिये उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्त स्थान उपर्युक्त नियम १२ (३) में दी गई रीति से रक्षित रखे जायेंगे।

परन्तु यदि अगले चयन के समय सभी रक्षित रिक्त स्थानों, जिनमें अतिरिक्त रिक्त स्थान शामिल हैं, को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार न मिल सकें, तो अतिरिक्त रिक्त स्थान या कि उनमें से वे रिक्त स्थान जो कि भरे न गये हों, समाप्त ही जायेंगे।

१३. आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची.—आयोग ऐसे उम्मीदवारों के जिन्हें वह सर्वाधिक उपयुक्त समझे, विधिवत् अधिमान क्रम में रखे गये नाम व अन्य व्योरे तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उन उम्मीदवारों के नाम और अन्य व्योरे जो यद्यपि उन मानकों के अनुसार अर्ह नहीं हैं किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा।

१४. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(१) योग्य उम्मीदवारों की पदोन्नति-हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे।

(२) समिति की बैठक ऐसी अन्तरावधियों में होगी जो कि साधारण तौर पर एक वर्ष से अधिक, की न हो।

अधिकारियों की संख्या से अधिक घोषित

रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्से-
ने;

किया गया हो, और (क) नियुक्ति
ख) भरती संबंधी शर्तें पूरी हो जाने

ने;

जिन्हें अनुबंध पूरा होने पर सेवा-
धि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त

पर मास से अधिक समय तक
। गया हो);

ये भूतपूर्व सैनिक;

सेवामुक्त किया गया हो कि वे सक्षम

ने के कारण तथा घाव आदि हो जाने
के अनुसार सेवा से अलग कर दिया

तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी
ने चयन के लिये चुना गया हो, वे यदि
यन होने के पहिले या बाद में सेवा
हों होंगे। तथापि यदि आवेदनपत्र
ी कर दी जाये, तो वे नियुक्ति के पात्र

नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति

रिक्त ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी

श पर, किसी ऐसे उम्मीदवार की,
सि भले ही इस खंड में निर्धारित
ने किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित
। की राय में उम्मीदवार को चयन

अर्हता प्राप्त हों, किन्तु जिन्होंने ऐसे
। जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप में
के विवेकानुसार, चयन के लिये

Statutory Laws.

(६)

१५. पदोन्नति, स्थानांतरण के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.—समिति उच्च पद पर पदोन्नति के हेतु उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जुलाई को अनुसूची चार के खाने (२) में उल्लिखित निम्न पद या शासन द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी अन्य पद या पदों पर, कम से कम तीन वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न, अथवा मूल रूप से), पूरी कर ली हो, बशर्ते कि वे पदोन्नति पद के लिये न्यूनतम अनुभव संबंधी अर्हतायें, जो पदोन्नति पद पर सीधी भरती के लिये निर्धारित की गई हों, पूरी करते हों।

१६. उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.—(१) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम १५ में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, तथा जिन्हें समिति, सेवा में पदोन्नति, स्थानांतरण करने के लिये उपयुक्त समझती हो। यह सूची दो वर्ष तक होने वाले रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(२) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित ध्यान देते हुये, योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(३) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम संबंधित संवर्ग में वरिष्ठता-क्रम से रखे जायेंगे:

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य उपयुक्त तथा हों उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

(४) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायगा।

(५) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के दौरान, म. प्र. शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण लेखबद्ध करेगी।

१७. आयोग से परामर्श.—नियम १६ के अनुसार तैयार की गई सूची शासन द्वारा निम्नलिखित कागजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:—

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख;

(दो) म. प्र. शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) के ऐसे सभी सदस्यों के अभिलेख, जिनको सूची में की सिफारिशों के अनुसार अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित हो;

(तीन) म. प्र. शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) के किसी भी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में समिति द्वारा लेखबद्ध किये गये कारण;

(चार) समिति की सिफारिशों के संबंध में शासन के विचार;

१८. चयन सूची.—(१) आयोग, शासन से प्राप्त हुये अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा। और यदि उसमें वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा।

(२) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा शासन उस पर यदि कोई मत प्रकट करे, तो उस पर ध्यान देत हुये, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हों, सूची को प्रतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।

(३) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची म. प्र. शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) के सदस्यों को पदोन्नत करने के लिये चयन-सूची होगी।

(४) चयन-सूची सामान्यतया, तब तक लागू रहेगी, जब तक कि नियम १६ के उपनियम (४) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाये :

परन्तु चयन-सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर चयन-सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे तो, ऐसे व्यक्ति का नाम, चयन-सूची से हटा सकेगा।

१९. चयन-सूची से सेवा में नियुक्ति.—(१) चयन-सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संबंधों के पदों पर नियुक्तियाँ उसी क्रम से की जायेंगी, जिस क्रम से ऐसे अधिकारियों के नाम चयन-सूची में हों।

परन्तु यदि प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण जरूरी हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन-सूची में सम्मिलित न किया गया हो, या जिसका नाम चयन-सूची में दिये गये क्रम में अगले स्थान पर हो, सेवा में उस स्थिति में नियुक्त किया जा सकेगा, जबकि शासन का इस बात से समाधान हो जाय कि उक्त रिक्त स्थान के तीन माह से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है।

(२) जिस व्यक्ति का नाम सेवा की चयन-सूची में शामिल किया गया हो, उस व्यक्ति को, सेवा में नियुक्त करने के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन-सूची में उसका नाम शामिल करने की तारीख तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आई हो, जो शासन की राय में ऐसी हो, जिससे उसका सेवा में नियुक्त किया जाना उचित न हो।

२०. परिवीक्षा.—सेवा में सीधे भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

२१. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

२२. छूट.—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो राज्यपाल को उचित और न्याय प्रतीत होती हो :

परन्तु मामले पर किसी ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जायेगी जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

२३. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के सभी तत्स्थानी नियम, जो इनके प्रारम्भ होने के ठीक पहिले लागू हों, इसके द्वारा, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एच. राव, सचिव।

उच्च पद पर पदोन्नति के हेतु एक जुलाई, को अनुसूची चार के किसी अन्य पद या पदों पर, पूरी कर ली हो, बसते कि वे पद पर सीधी भरती के लिये

मिति ऐसे व्यक्तियों की एक है—तथा जिन्हें समिति, सेवा की दो वर्ष तक होने वाले रिक्त

का चयन वरिष्ठता पर समुचित गा.

वित्त वर्ग में वरिष्ठता-क्रम से

रूप से योग्य उपयुक्त तथा हों केगा.

तथा पुनरीक्षण किया जायगा.

दौरान, म. प्र. शैक्षणिक सेवा तो समिति प्रस्तावित अधिकरण

सूची शासन द्वारा निम्नलिखित

सदस्यों के अभिलेख, जिनको प्रस्तावित हो;

ती सदस्य के प्रस्तावित अधि-करण;

प दस्तावेजों के साथ समिति केवर्तन आवश्यक न समझे तो

वश्यक समझे, तो वह प्रस्तावित मिति प्रकट करे, तो उस पर चित तथा उपयुक्त हों, सूची

अनुसूची क्रमांक १

मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा प्रशासनिक तकनीकी एवं गैर तकनीकी शाखा

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	क्षेत्र
(१)		(३)	(४)	(५)	(६)

१. मध्यप्रदेश के शासकीय इंजीनियरी महाविद्यालयों के प्राचार्य

प्राध्यापक (तकनीकी)	५	५	प्रथम श्रेणी	₹. १५००—१८००.
(१) सिविल	५	५	प्रथम श्रेणी	₹. १०००—१२००.
(२) यांत्रिक (मैकेनिकल)	५	५	प्रथम श्रेणी	
(३) विद्युत् (इलेक्ट्रीकल)	५	५	प्रथम श्रेणी	
(४) व्यावहारिक यांत्रिकी (एलवा. मैकेनिक्स)	५	५	प्रथम श्रेणी	
(५) दूर संचार (टेली कम्युनिकेशन)	५	५	प्रथम श्रेणी	
(६) रसायन (केमिकल)	५	५	प्रथम श्रेणी	
(७) हल्की तथा मिथ्यातु प्रौद्योगिकी (लाइट मेटल एण्ड एलायडकालाजी)	५	५	प्रथम श्रेणी	
(८) खनिकर्म (माईनिंग)	५	५	प्रथम श्रेणी	
(९) धातु कर्म (मेटलर्जी)	५	५	प्रथम श्रेणी	

६६ प्रथम श्रेणी रु. ६००—११५०

३. प्रवाचक (रीडर) (तकनीकी)
(१) सिविल	२०
(२) यांत्रिक	११
(३) विद्युत्	११
(४) व्यावहारिक यांत्रिकी	५
(५) दूर संचार	५
(६) रसायन/इंजीनियरिंग, रसायन शास्त्र (कमिस्ट्री)	..	५
(७) हल्की तथा मिश्र धातु प्रौद्योगिकी	२
(८) खनिकर्म	४
(९) धातुकर्म	३
		<hr/>
		६६

(७)

५ प्रथम श्रेणी रु. ६००—११५०.

४. कर्मशाला अधीक्षक
(१) यांत्रिक	५

११६ प्रथम श्रेणी रु. ३५०—८५०

५. व्याख्याता (लेक्चरर) (तकनीकी)
(१) सिविल	२७
(२) यांत्रिक	३७
(३) विद्युत्	२३
(४) व्यावहारिक यांत्रिकी	६
(५) दूर संचार	६
(६) रसायन/इंजीनियरिंग, रसायन शास्त्र (कमिस्ट्री)	..	८

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
(७) हल्की तथा मिश्र धातु प्रौद्योगिकी	१				
(८) खनिकर्म	४				
(९) धातु कर्म	४				
	११६				
६. सहायक कर्मसाला अधीक्षक	..				
(१) यांत्रिक	..	६	६ प्रथम श्रेणी	रु. ३५०—८५०.	
			शासकीय इंजीनियरी महाविद्यालय (गैर तकनीकी संवर्ग)		
७. प्राध्यापक (गैर तकनीकी)	१३ प्रथम श्रेणी	रु. १०००—१२००.	
(१) भौतिक शास्त्र (फिजिक्स)	..	४			
(२) रसायन शास्त्र (कैमिस्ट्री)	..	४			
(३) गणित (मैथमेटिक्स)	..	४			
(४) भौतिकी (जियोलाजी)	..	१			
	१३				
८. प्रवाचक, (रीडर) गैर तकनीकी	२० प्रथम श्रेणी	रु. ६००—११५०.	
(१) भौतिक शास्त्र	..	६			
(२) रसायन शास्त्र	..	५			
(३) गणित	..	६			
(४) भौतिकी	..	३			
	२०				

(३) गणित	६
(४) भौतिकी	३
<hr/>	
	२०
<hr/>	

६३ प्रथम श्रेणी रु. ३५०—८५०.

६. व्याख्याता (गैर तकनीकी)	२३
(१) भौतिक शास्त्र	१८
(२) रसायन शास्त्र	२०
(३) गणित	२
(४) भौतिकी/व्यावहारिक भौतिकी	६३
<hr/>	

१०. अंग्रेजी व्याख्याता ८
 ११. रजिस्ट्रार २

तीन.—शासकीय विविध शिष्य शाला (तकनीकी संवर्ग)

१२. प्राचार्य ८
 १३. विभागाध्यक्ष ५

(१) सिविल	५
(२) यांत्रिक	११
(३) विद्युत्	११
(४) व्यावहारिक यांत्रिकी	१
(५) संरचनात्मक	१
(६) धातुकर्म	१
(७) वस्त्र	१
(८) आटोमोबाइल	२
(९) खनिकर्म	२
(१०) औषध निर्माण (फार्मसी)	२
(११) वास्तु कला	२
(१२) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	२
<hr/>	
	४१

चार—शासकीय महिला विविध शाला (गैर तकनीकी संवर्ग)

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१४. प्राचार्य, महिला विविध शाला	१ प्रथम श्रेणी ..	रु. ७००—११००.	..
१५. विभागाध्यक्ष	२ द्वितीय श्रेणी ..	रु. ३६०—७००.	..
(१) सचिवालयीन कार्य-मदति तथा सी.एच.ले.खन	१				
(२) वस्त्र सज्जा तथा वेद्य भूषा निर्माण	१				
	२				

१६ व्याख्याता तकनीकी विविध शाला जिसमें महिला विविध शाला शामिल भी सम्मिलित है.

(१) सिविल	३०				
(२) यांत्रिक	३२				
(३) विद्युत्	२५				
(४) संरचनात्मक	१				
(५) धातुकर्म	६				
(६) वस्त्र	१				
(७) चर्म प्रौद्योगिकी	२				
(८) आर्टोमोबाइल	१				
(९) खनिकर्म	४				
(१०) इंजीनियरींग रसायन शास्त्र	७				
(११) प्रौद्योगिक रसायन शास्त्र	१				
(१२) व्यावहारिक भौतिकी	२				
(१३) वास्तु कला	१				
(१४) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	१				
	२				
	१२३			रु. ३५०—८५०.	..

(१३) वास्तु कला
(१४) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी

१२३

१७. व्याख्याता (गैर तकनीकी)

(१) भौतिक शास्त्र	१३
(२) रसायन शास्त्र	१३
(३) गणित	१६
(४) अंग्रेजी / मानव शास्त्र श्रमिक संबंध तथा लेखा शास्त्र	१५
(५) सचिवालयीन कार्य-पद्धति तथा शीघ्रलेखन	१
(६) वस्त्र सज्जा तथा वेष्ट-भूषण	१
(७) शोषण निर्माण (फार्मसी)	४*

६३ द्वितीय श्रेणी .. र. २७५—५७५.

६३

*द्वितीय श्रेणी ३६०—७००

१८. सहायक व्याख्याता / जूनियर व्याख्याता / सीनियर अट्टेन्डन्ट (तकनीकी)

(१) सिविल	४६
(२) यांत्रिक	४०
(३) विद्युत्	३७
(४) संरचनात्मक	१
(५) ओटोमोबाइल	१
(६) धातु-चर्म	१
(७) शोषण निर्माण (फार्मसी)	२
(८) चर्म-शौद्योगिकी	२
(९) खनिकर्म	४
(१०) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	२
(११) वास्तु कला	१
(१२) सचिवालयीन कार्य-पद्धति तथा शीघ्रलेखन	२
(१३) वस्त्र सज्जा तथा वेष्ट-भूषण निर्माण	२

१४४

१४४ द्वितीय श्रेणी .. र. २६०—५००.

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१६.	कर्मशाला अधीक्षक	१२	प्रथम श्रेणी ..	३५०—५५०.]	
	(१) यांत्रिक	११			
	(२) चर्म	१			
		१२			
२०.	सहायक कर्मशाला अधीक्षक	६	द्वितीय श्रेणी ..	२६०—५००.	
	(१) यांत्रिक	६			
पांच.—शासकीय माध्यमिक तकनीकी शालाएं (तकनीकी संवर्ग)					
२१.	अधीक्षक	१५	द्वितीय श्रेणी ..	३६०—७००.	
२२.	ब्याख्याता (तकनीकी)	३०	द्वितीय श्रेणी ..	३००—५८०.	
	(१) यांत्रिक	१५			
	(२) विद्युत्	१५			
		३०			
२३.	स्ट्रीम पाठ्यक्रमों के लिए तकनीकी ब्याख्याता	४	द्वितीय श्रेणी ..	२७५—४७५.	
	(१) सिविल	४			
	(२) यांत्रिक	३			
	(३) विद्युत्	४			
		११			

२३. स्टीम पाठ्यक्रमों के लिए तकनीकी व्याख्याता

(१) सिविल	४
(२) यांत्रिक	३
(३) विद्युत्	४
	<hr/>
	११

२४. कर्मशाखा फोरमन १५ द्वितीय श्रेणी .. रु. ३००—५८०.

२५. प्राचार्य १ प्रथम श्रेणी .. रु. ६००—१,०००.

२६. विभागाध्यक्ष मुद्रण-प्रौद्योगिकी २ प्रथम श्रेणी .. रु. ६००—१,०००. ✓

२७. व्याख्याता (तकनीकी) १० प्रथम श्रेणी .. रु. ३५०—५८०. ✓

(१) सिविल	१
(२) यांत्रिक	१
(३) विद्युत्	१
(४) यांत्रिक मानचित्रकारी	१
(५) मुद्रण प्रौद्योगिकी	४
(६) ललित/व्यावहारिक कला	२
	<hr/>
	१०

(२५)

२८. सहायक व्याख्याता / सीनियर अनुदेशक / तकनीकी शिक्षक १६ द्वितीय श्रेणी .. रु. २६०—५००. ✓

(१) सिविल	३
(२) यांत्रिकी	३
(३) विद्युत्	३
(४) ओटोमोबाइल	१
(५) दूर-संचार	१
(६) मुद्रण	२
(७) ललित / व्यावहारिक कला	३
	<hr/>
	१६

२९. कर्मशाखा फोरमन १ प्रथम श्रेणी .. रु. ३५०—६५०.

छ:- तकनीकी शिक्षा संचालनालय तथा मध्यप्रदेश.

तकनीकी शिक्षा मण्डल के अधीन प्रशासनिक पद

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

३०. संचालक, तकनीकी शिक्षा रु. १५००-१८००.
३१. उप संचालक, तकनीकी शिक्षा / उप सचिव, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल. .. . रु. ६००-११५० यदि व्यक्ति क्रमशः विविध शिष्य शाला विभागाध्यक्ष के संवर्ग से अथवा इंजीनियरी महा विद्यालय के प्रवाचक के संवर्ग से लिए जाएं अन्यथा ५५०-६५० यदि व्यक्ति गैर तकनीकी शिक्षा / प्रशासन से लिए जाएं.

३२. सहायक संचालक, तकनीकी शिक्षा / सहायक सचिव, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल. .. . रु. २७५-७००.

भरपूरी - बी

क्रमिक	विभाग का नाम	सेवा का नाम	भरपूरी पदों की संख्या	भरने वाले कर्तव्य पदों की संख्या या प्रतिशत	व्यक्तियों के स्वतंत्ररूप द्वारा, नियम ७ (ब) देखिये
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
	शिक्षा विभाग, तकनीकी शाखा	प्रथम श्रेणी प्राचार्य इंजीनियरी महाविद्यालय (प्रशासनिक तथा अध्यापन) प्राध्यापक (तकनीकी)] इंजीनियरी महाविद्यालय] सिविल यांत्रिक (मेकेनिकल) विद्युत् (इलेक्ट्रीकल) व्यावहारिक यांत्रिकी (एल्वा.मैकेनिकल्स) दूर संचार (टेलीकम्युनि- केशन) रसायन (केमीकल) हल्की धातु और मिश्र-धातु प्रौद्योगिकी (साईट मेटल- एण्ड एलाय टेक्नालाजी)	५ २३ ५ ५ ५ २ २ १ १	०० २५ प्रतिशत ७५ प्रतिशत	१०० प्रतिशत ७५ प्रतिशत ५ ५ ५ १ १ १ १ १
		(१) तकनीकी संवर्ग, (अध्यापन शाखा) इंजीनियरी महाविद्यालय			

कर्तव्य पदों की कुल संख्या

सर्वोच्च सेवा के मूल/प्रत्यापी सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम ७ (ख) देखिये।
(क) देखिये

अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्वतंत्ररूप द्वारा, नियम ७ (ब) देखिये

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
		खनिकर्म (साइनिंग)	१	..	१	१
		घातु कर्म (मेटेलर्जी)	१	..	१	१
			२३			
		प्रवाचक (रीडर) (तकनीकी)	६६	२५ प्रतिशत	७५	प्रतिशत
		इंजीनियरी महाविद्यालय				
		सिविल	२०	५	१५	
		यांत्रिक	११	३	५	
		विद्युत्	११	३	५	
		व्यावहारिक यांत्रिकी	५	१	५	
		दूर-संचार	५	१	५	
		रसायन/इंजीनियरी	५	१	५	
		रसायन शास्त्र	५	१	५	
		हल्की घातु तथा मिश्र घातु	२	१	१	
		प्रौद्योगिकी	५	१	५	
		खनिकर्म	३	१	३	
		घातु कर्म	३	१	३	
			६६			
		कर्मशाला अधीक्षक, इंजीनियरी	५	..	१००	प्रतिशत
		महाविद्यालय				
		यांत्रिकी	५	..	५	

कर्मशाला अधीक्षक, इंजीनियरी ५ १०० प्रतिशत
 महाविद्यालय ५
 यांत्रिकी ५

व्याख्याता (तकनीकी) इंजी- ११६ ८० प्रतिशत २० प्रतिशत
 नियरी महाविद्यालय

सिविल २७ २२ ५
 यांत्रिक ३७ ३० ७
 विद्युत २३ १८ ५
 व्यावहारिक यांत्रिकी ६ ५ १
 दूर संचार ६ ५ १
 रसायन इंजीनियरी, रसायन शास्त्र ८ ६ २
 हल्की धातु तथा मिश्र धातु १ १ २
 प्रौद्योगिकी ४ ३ १
 खनिकर्म ४ ३ १
 धातु कर्म ४ ३ १

११६

सहायक कर्मशाला अधीक्षक ६ ५० प्रतिशत ५० प्रतिशत
 यांत्रिक ६ ५

(२) गैर-तकनीकी संवर्ग (अध्यापन शाखा) इंजीनियरी महाविद्यालय
 प्रथम श्रेणी

प्राध्यापक, इंजीनियरी १३ २५ प्रतिशत ५० प्रतिशत
 महाविद्यालय

भौतिक शास्त्र (फिजिक्स) ४ २ २
 रसायन शास्त्र (कमिस्ट्री) ४ १ २
 गणित (मैथमेटिक्स) ४ १ २
 भौतिकी (बियोलाजी) १ १ १

२३

२५ प्रतिशत महा-
 विद्यालयीन प्राध्या-
 पकों की पदोन्नति
 द्वारा (५५०-६५०)

१ १ १

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
		इंजीनियरी महाविद्यालय के प्रकाचक	२०	२५ प्रतिशत	५० प्रतिशत	२५ प्रतिशत तदर्थ
		भौतिक शास्त्र	६	२	३	१
		रसायन शास्त्र	५	१	३	१
		गणित	६	२	३	१
		भौतिकी	३	१	३	१
			<hr/>			
			२०			
		व्याख्याता इंजीनियरिंग महाविद्यालय	६३	२५ प्रतिशत	२५ प्रतिशत	५० प्रतिशत महाविद्यालयीन सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति द्वारा (३६०-७००)
		भौतिक शास्त्र	२३	६	६	११
		रसायन शास्त्र	१८	४	५	६
		गणित	२०	५	५	१०
		भौतिकी/व्या. भौतिकी	२	१	०	१
			<hr/>			
			६३			
		द्वितीय श्रेणी				
		व्याख्याता, अंग्रेजी	८	८	१००	प्रतिशत

(२०)

द्वितीय श्रेणी

ब्याख्याता, संश्लेषी	५	५	१०० प्रतिशत	..
रजिस्टार (प्रशासन)	२	..	१०० प्रतिशत	..

(३) तकनीकी संवर्ग (अध्यापनशाखा) विविध—शिल्प शाखायें.

प्रपत्र-श्रेणी

प्राचा यं, विविध-शिल्प शालायें	१२	..	१०० प्रतिशत	
प्राशासनिक तथा अध्यापन	४१	२५ प्रतिशत	७५ प्रतिशत	
विभागाध्यक्ष, विविध-शिल्प शालायें	६	२	७	
सिविल	११	३	८	
यांत्रिक	११	३	८	
विद्युत्	१	..	१	
व्या. यांत्रिकी	१	..	१	
संरचनात्मक	१	..	१	
धातुकर्म	१	..	१	
बाल (टेक्सटाइल)	१	..	१	
आर्टोमेकानिक	१	..	१	
खनिकर्म	२	१	१	
घोषक निर्माण (फार्मसी)	१	..	१	
वास्तुकला (आर्किटेक्चरल)	१	..	१	
चिकित्सा प्रयोगशाला	१	..	१	
प्रौद्योगिकी	४१	..	४१	

कर्मशाला, अधीक्षक, विविध शिल्प शालायें	१२	५० प्रतिशत	५० प्रतिशत	
यांत्रिक	११	५	६	
चर्म प्रौद्योगिकी	१	१	..	

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
		व्याख्याता (तकनीकी) विविध- शिल्प शालायें जिसमें महिला विविध शिल्प शालायें भी शामिल हैं ..	१२३	५० प्रतिशत	२० प्रतिशत	
		सिविल ..	३६	३२	७	
		यांत्रिक ..	३२	२५	७	
		विद्युत् ..	२५	२०	५	
		संरचनात्मक ..	१	१	..	
		घातु कर्म ..	६	५	१	
		वस्त्र ..	१	१	..	
		चर्म प्रौद्योगिकी ..	२	१	१	
		फोटोमोबाइल ..	१	१	..	
		खनिकर्म ..	४	३	१	
		इंजीनियरिंग रसायन शास्त्र ..	७	५	२	
		औद्योगिक रसायन शास्त्र ..	१	१	..	
		व्यावहारिक भौतिकी ..	२	१	१	
		वास्तु कला ..	१	१	..	
		चिकित्सा प्रयोगशाला ..	१	१	..	
		प्रौद्योगिकी ..	१	१	..	
						१२३

द्वितीय श्रेणी

सहायक	व्याख्याता/जूनियर	१४४	५० प्रतिशत	२० प्रतिशत
व्याख्याता/महिला	विविध	४६	४०	६
विश्वविद्यालय	भारतीय सहित	४०	३२	८
विविध शालाओं के	सोनियर अनुदेशक	३७	३०	७
सिविल		१	१	०
यांत्रिक (मेकेनिकल)		१	१	०
विद्युत् (इलेक्ट्रीकल्स)		२	१	१
संरचनात्मक		२	१	१
ओटोमोबाइल		४	३	१
शोध निर्माण (फार्मसी)		२	१	१
चर्म प्रौद्योगिकी		२	१	१
खनिकम्		२	१	१
चिकित्सा प्रयोगशाला		१	१	०
प्रौद्योगिकी		१	१	०
वास्तु कला		२	१	१
सचिवालयीन कार्य पद्धति		२	१	१
तथा शोध लेखन		२	१	१
वस्त्र सज्जा तथा वेष्ट-यूजा		२	१	१
निर्माण		२	१	१
		१४४		

सहायक कर्मचाला अधीक्षक,
विविध शालाओं के
गणित

५५५ प्रतिशत ५० प्रतिशत

४

५

(१०)

(१५)

(१५)

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७)

(५) शासकीय महिला विविध शालाये (गैर तकनीकी) संवर्ग .

प्रथम—बेपी.

१०० प्रतिशत
द्वितीय—बेपी

(५) गैर तकनीकी संवर्ग, (अध्यापन शाखा) विविध शालाये, जिनमें महिला विविध शालाये भी सम्मिलित हैं.

द्वितीय—बेपी

१०० प्रतिशत ..

प्राचार्य, महिला विविध शाला-
शाला. १

महिला विविध शाला का
विभागाध्यक्ष २

सचिवालयीय कार्य-पदवि
तथा सी.प्र. लेखन] .. १

वस्त्र सज्जा तथा वेप-भूषा
निर्माण १

व्याख्याता (गैर तकनीकी) ६३
भौतिक शास्त्र (फिजिक्स) १०
रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री) १०
गणित १२
अंग्रेजी (मानव शास्त्र) .. १२
अर्थिक संबंधी तथा बेरोा शास्त्र
सचिवालयीय कार्य पदवि
तथा सी.प्र.लेखन १

२५ प्रतिशत
३
३
४
३

१ ..

रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री) १२ ३
 गणित १२ ३
 अंग्रेजी (मानव शास्त्र) १२ ३
 अर्थिक सबंधी तथा सेवा शास्त्र १२ ३
 सचिवालयीन कार्य पद्धति १२ ३
 तथा शीघ्रलेखन १२ ३

निर्माण १ १
 शोध निर्माण (फार्मसी) ४ ३
 ६३

(६) तकनीकी संवर्ग (अध्यापन शाखा) माध्यमिक तकनीकी शाखायें।
 द्वितीय—श्रेणी

अधीक्षक, (प्रशासनिक तथा १५ २५ प्रतिशत ७५ प्रतिशत
 अध्यापन) ४ ११
 कर्मशाखा फोरमन १५ २५ ७५ प्रतिशत
 मांत्रिक ४ ११
 ३० ५० प्रतिशत २० प्रतिशत
 १५ ११ ४
 १५ ११ ४
 ३०

व्याख्याता (तकनीकी)
 मांत्रिक १५
 विद्युत् १५
 ३०

व्याख्याता (तकनीकी) ११ ५० प्रतिशत २० प्रतिशत
 स्ट्रीम पाठ्यक्रम ४ ३ १
 सिविल ३ २ १
 मांत्रिक ४ ३ १
 विद्युत् ४ ३ १
 ११

(७)

(६)

(५)

(३)

(२)

(१)

(७) तकनीकी सर्वार्थ (तकनीकी शाखा) कला निकेतन, जबलपुर.

प्रथम—श्रेणी

प्राचार्य प्रशासनिक तथा ग्रन्थालय	१	१०० प्रतिशत	✓
विभागाध्यक्ष, मूद्रण	२	५० प्रतिशत	✓
व्याख्याता (तकनीक)	१०	५० प्रतिशत	✓
(कला निकेतन, जबलपुर)		२० प्रतिशत	✓
सिविल	१	१ "	
यांत्रिक	१	१ "	
विद्युत्	१	१ "	
यांत्रिक मानचित्रकारी	१	१ "	
मूद्रण प्रौद्योगिकी	४	३	✓
लेखित कला/व्यावहारिक कला	२	१	✓
	१०		

(२६)

द्वितीय—श्रेणी

सहायक व्याख्याता/सीनियर ग्रन्थालय/तकनीकी शिक्षक	१६	५० प्रतिशत	२० प्रतिशत
सिविल	३	२	१
यांत्रिक	३	२	१
विद्युत्	३	२	१
फोटोमोबाइल	१	१	१

सहायक व्याख्याता/सिनियर	१६	५० प्रतिशत	२० प्रतिशत
अनुदेशक/तकनीकी शिक्षक			
सिविल ..	३	३	१
यांत्रिक ..	३	३	१
विद्युत् ..	३	३	१
प्रोडोमोबाइल	३	३	१

सुर-संचार	१	१	१
सूचना	२	२	१
संस्कृत/व्यावहारिक कला	३	३	१

१६

प्रथम—श्रेणी
१ .. १०० प्रतिशत

कर्मशाला फोरमैन,
कला निष्पन्न, जबलपुर
(८) तकनीकी (संवर्ग) (प्रशासनिक शाखा) संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल.

संचालक, तकनीकी शिक्षा
प्रथम—श्रेणी
१ .. १०० प्रतिशत

(२७)

१०० प्रतिशत शासकीय
इंजीनियरी महा-
विद्यालय से प्राचार्य
के संवर्ग से स्था-
नांतरण द्वारा.

५० प्रतिशत प्रवाचक
(रीडर) (तक-
नीकी) तथा गैर
तकनीकी इंजीनियरी
महाविद्यालय विविध
शिल्प शाला के
विभागाध्यक्ष के संवर्ग
से स्थानान्तरण द्वारा.

५० प्रतिशत तकनीकी व्याख्याता के पद से
पदेन्नति द्वारा/तथापि शासन, अन्य
प्रशासनिक संवर्ग से उन व्यक्तियों की
पदेन्नति करने का अधिकार सुरक्षित
रखता है जो उनके मत में ५५०—६५०
रु. के वेतनमान वाले प्रत्येक पद से संबद्ध
कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों की दृष्टि से
उपयुक्त हों.

उपसंचालक/उप सचिव .. ५ ..

(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

(६)

(७)

द्वितीय—श्रेणी

सहायक संचालक .. ४

१०० प्रतिशत

५० प्रतिशत विविध शालाओं के व्याख्याताओं (गैर तकनीकी) में से बशर्ते कि वे प्रशासनिक कार्यों में रुचि रखते हों. ५० प्रतिशत संचालनालय तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त अधीक्षकों में से (इस संबंध में नीति, शासन द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है) योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर.

सहायक सचिव, मध्यप्रदेश, २ तकनीकी शिक्षा मंडल

१०० प्रतिशत

५० प्रतिशत विविध शालाओं/माध्यमिक/तकनीकी शालाओं के व्याख्याता (गैर तकनीकी) में से. बशर्ते कि वे प्रशासनिक कार्यों में रुचि रखते हों. ५० प्रतिशत मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल के उपयुक्त अधीक्षकों में से, यदि मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल में उपयुक्त उम्मीदवार न मिल सकें तो तकनीकी शिक्षा संचालनालय से योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर

अनु सूची—सीत

विभाग का नाम	पुत्रा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताये	कफियत
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
शिक्षा	सक्कीकी संवर्ग प्रथम श्रेणी				

प्राध्यापक तकनीकी शासकीय इंजी-
नियरी महाविद्यालय.

अधिक से अधिक ४५
वर्ष

संबन्धित विषय में इंजीनियरी or स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि तथा अध्ययन/तकनीकी शिक्षा का प्रशासन/शोध-कार्य, प्रायोगिक कार्य में ७ वर्ष का अनुभव, जिसमें ५ वर्ष का इंजीनियरी महाविद्यालय में अध्यापन का अनुभव होना चाहिये.

या

संबन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा अध्ययन/तकनीकी शिक्षा के प्रशासन/शोध-कार्य/प्रायोगिक कार्य में लगभग १० वर्ष का अनुभव, जिसमें ५ वर्ष का इंजीनियरी महाविद्यालयों में अध्यापन का अनुभव होना चाहिये. उन उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायगा, जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि हों.

ध्या. भौतिकी के लिये

ध्या. भौतिकी में प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा अध्यापन या शोध का कम से कम ७ वर्ष का अनुभव, जिसमें से ५ वर्ष का इंजीनियरी महाविद्यालय में अध्यापन का अनुभव होना चाहिये. उच्चतर अर्हताओं वाले उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायगा.

(१) (२) (३) (४) (६)

प्रवाचक, शासकीय इंजीनियरी महाविद्यालय. अधिक से अधिक ४० वर्ष. इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा अध्यापन/शोध कार्य/प्रायोगिक कार्य/तकनीकी शिक्षा के प्रशासन में लगभग ३ वर्ष का अनुभव जिसमें से लगभग एक वर्ष का इंजीनियरी महाविद्यालय में अध्यापन का अनुभव होना चाहिये.

या

इंजीनियरी की संबंधित शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा अध्यापन/शोध कार्य/प्रायोगिक कार्य/तकनीकी शिक्षा के प्रशासन में लगभग ५ वर्ष का अनुभव, जिसमें से लगभग एक वर्ष का इंजीनियरी महाविद्यालय में अध्यापन का अनुभव होना चाहिये. स्नातकोत्तर उपाधि वाले उम्मीदवारों को अधिमार्ग दिया जायगा.

ब्या. भौतिकी के लिये

शुद्ध या व्यावहारिक भौतिकी में द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा व्यावहारिक भौतिकी के क्षेत्र में अध्यापन और/या व्यावहारिक अनुभव और भौतिक शास्त्र और/या भू-रसायन शास्त्र का विशिष्ट ज्ञान.

व्याख्याता, तकनीकी इंजीनियरी महाविद्यालय. २१ ३०

बी. ई. की प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की उपाधि तथा १ वर्ष का अनुभव.

सहायक कर्मचारी अधीक्षक इंजीनियरी महाविद्यालय. अधिक से अधिक ३० वर्ष.

यांत्रिक-इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की बी. ई. या बी. एफ. सी. की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव.

टीपः—ए. एम. आई. ई. (सेकत "ए" तथा "बी" उत्तीर्ण) की

सहायक कर्मचाला अवीसक इंजी-
नियरी महाविद्यालय. ३० अधिक से अधिक ३०
वर्ष.

टीप:—ए. एम. आई. ई. (सेक्सल "ए" तथा "बी" उत्तीर्ण) की
अद्वैता द्वितीय श्रेणी की उपाधि के समतल मानी जायेगी

यात्रिक इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पदोपित या
इसके समतुल्य पदोपधि तथा लगभग ५ वर्ष का अनुभव,
नितमें से २ वर्ष का किसी विद्यालय कर्मचाला का अनुभव.

गैर तकनीकी संवर्ग.

प्राध्यापक, इंजीनियरी महाविद्यालय. ३० ५०

प्रवाचक, इंजीनियरी महाविद्यालय २६ ४५

व्याख्याता, प्रथम श्रेणी, अंग्रेजी के २१ ३०
व्याख्याता की छोड़.

अंग्रेजी के व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी २१ ३०

विविध—शिल्प शाला
प्रथम श्रेणी संवर्ग.—

प्राचार्य, महिला विविध-शिल्प २६ अधिक से अधिक ४०
शाला. वर्ष

संबंधित विषय में डाक्टर की उपाधि तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं
अध्यापन का लगभग १० वर्ष का अनुभव या कार्य

संबंधित विषय में डाक्टर की उपाधि तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं
में अध्यापन का लगभग ५ वर्ष का अनुभव या शोध कार्य.

अतिवार्य.—प्रथम या द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपाधि या इसके
समतुल्य उपाधि.

अविमान.—उन उम्मीदवारों को अविमान किया जायगा जिन्हें
अध्यापन कार्य का अनुभव हो.

संबंधित विषय में प्रथम या द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपाधि या
इसके समतुल्य उपाधि.

कला/विज्ञान/गृह-विज्ञान/वास्तु-विज्ञान/इंजीनियरी या औषध-
विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी की उपाधि तथा शैक्षणिक
संस्था/प्रशासन में कम से कम ८ वर्षों का अनुभव, जिसमें ३ वर्षों
का अध्यापन का अनुभव होना चाहिये. व्यावसायिक संस्था
के प्रशासन का अनुभव वांछनीय होगा.

(१)

(२)

(३)

(४)

विभागाध्यक्ष विविध-शिल्पशाला,
तथा कला निकेतन, जबलपुर. शैक्षिक, २६
विद्युत्
तथा ओटो-
मोबाइल
इंजीनियरी
के लिये.

अधिक से अधिक ४०
वर्ष.

भूदण प्रौद्योगिकी के लिये (कला निके-
तन जबलपुर में)

२६ अधिक से अधिक ४०
वर्ष.

विविध-शिल्प शालाओं में खानिकमें
तथा धातु कर्म के लिये।

२६ अधिक से अधिक ४०
वर्ष.

विविध-शिल्प शालाओं में औषध
निर्माण विज्ञान.

२६ अधिक से अधिक ४०
वर्ष.

महिला विविध शिल्प शाला भोपाल में
(वास्तु मालचित्रकार).

२६ अधिक से अधिक ४०
वर्ष.

महिला विविध शिल्प शाला भोपाल में
वस्त्र-सज्जा तथा वे श भूषण-निर्माण.

२६ अधिक से अधिक ४०
वर्ष.

(६)

(५)

संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की इंजीनियरी की उपाधि
या संबंधित विषय में ए. एम. आई. ई. तथा लगभग ५ वर्ष का
अभ्यापन और/या शोधकार्य/व्यावहारिक अनुभव जिसमें शोध
सहित कम से कम एक वर्ष का अभ्यापन का अनुभव होना
चाहिये. स्नातकोत्तर उपाधिकारी उम्मीदवारों को अति-
मान दिया जायगा.

इंटर विज्ञान (अविमानतः बी. एस. सी.) भूदण में पत्रोपाधि तथा
भूदण उद्योग में ७ वर्षों का व्यावहारिक अनुभव.

संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की इंजीनियरी की
उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा अभ्यापन/शोध कार्य में लगभग ५ वर्ष
प्रायोगिक कार्य का ३ वर्षों का अनुभव.

औषध निर्माण विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी की उपाधि या
इसके समतुल्य उपाधी तथा अभ्यापन/शोध कार्य में लगभग ५ वर्ष
का अनुभव स्नातकोत्तर उपाधिकारी उम्मीदवारों को अविमान
दिया जायेगा.

कम से कम द्वितीय श्रेणी में बी. आर्क. या वास्तुकला में एन. डी.
तथा ५ वर्षों का अभ्यापन/व्यावहारिक अनुभव.

वस्त्र तथा वस्त्र निर्माण में कम से कम द्वितीय श्रेणी की बी. एस. सी.
की उपाधि तथा ३ वर्षों का अभ्यापन/व्यावहारिक अनुभव.

महिला विविध शिल्प शाला मीपास में
(वास्तु मानचित्रकार).

महिला विविध शिल्प शाला मीपास में
वस्त्र-सूत्रा तथा वेत मूषा-निर्माण.

महिला विविध शिल्प शाला मीपास में
चिकित्सा प्रयोग शाला शैक्षिकी

महिला विविध शिल्प शाला मीपास में
सचिवालयीन कार्य पद्धति तथा
श्री म-नेशन.

२६ अधिक से अधिक ४० वर्ष.

२६ अधिक से अधिक ४० वर्ष.

२६ अधिक से अधिक ४० वर्ष.

२६ अधिक से अधिक ४० वर्ष.

२१ अधिक से अधिक ३० वर्ष.

कम से कम द्वितीय श्रेणी में बी. आर्क. या वास्तुकला में एन. डी.
तथा ५ वर्षों का अध्यापन/व्यवहारिक अनुभव.

वस्त्र तथा वस्त्र निर्माण में कम से कम द्वितीय श्रेणी की बी. एस्. सी.
की उपाधि तथा ३ वर्षों का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव.

एम. बी. बी. एस्. तथा ५ वर्ष का अनुभव जिसमें २ वर्ष कारीगर
विक्रान्त (पंचालापी) या जोवाणु विक्रान्त (बैक्टोरियोलॉजी)
विभागा में अनुभव.

या
रोग विक्रान्त में एम. डी. या इसके समतुल्य उपाधि तथा ३ वर्ष का
अनुभव.

वाणिज्य या व्यापार प्रबंध में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर
उपाधि तथा, वाणिज्य में प्रथम श्रेणी की उपाधि और ३ वर्षों
का अध्यापन अनुभव.

या
द्वितीय श्रेणी की वाणिज्य उपाधि तथा कंपनी ला बोर्ड की सेक्रेटरी-
शिप में पत्रोपाधि और ५ वर्ष का अनुभव, जिसमें से ३ वर्ष का
अध्यापन अनुभव होना चाहिये.

बांछनीय.—उम्मीदवारों को सर्वेक्षण करने और विभागों का संगठन
करने संबंधी ज्ञान और अनुभव होना चाहिये.

इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी की उपाधि.

या
इंजीनियरी में द्वितीय श्रेणी की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि
तथा एक वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव.

टीप.—ए. एम. आई. ई. (ए. एम. आई. ई. का सेवशन, "ए" तथा
सेवशन "बी" उत्तीर्ण) की ग्रहता, द्वितीय श्रेणी की उपाधि के
समकक्ष मानी जायगी.

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

या

इंजीनियरी की संबंधित शाखा में प्रथम श्रेणी को पत्रोपाधि तथा पांच वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव, जिसमें से ३ वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिये.

या

इंजीनियरी की संबंधित शाखा में द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि तथा ६ वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव, जिसमें से ४ वर्ष का अनुभव अध्यापन के क्षेत्र में होना चाहिये. इंजीनियरी की उपाधि प्राप्त उम्मीदवारों को अविमान दिया जायगा.

प्रतिवार्य.—प्रथम या द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपाधि अधिमाह्यतः अध्यापन का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को अविमान दिया जायगा.

कम से कम स्नातकोत्तर उपाधि तथा विविध-विद्य शाखाओं/ इंजीनियरी/महाविद्यालयों/उच्चतर माध्यमिक शाखाओं/ माध्यमिक तकनीकी शाखाओं या उपाधि महाविद्यालयों में अध्यापन का ३ वर्ष का अनुभव.

संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि.

या

२१ अधिक से अधिक ३० वर्ष

२१ तदेव

शासकीय विविध-विद्य शाखाओं में व्याख्याता गैर तकनीकी भौतिक शास्त्र, रसायन-शास्त्र तथा गणित]

व्याख्याता, अंग्रेजी]

व्याख्याता, औषध निर्माण-विज्ञान

२१ तदेव

संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी की उपाधि तथा एक वर्ष का अनुभव.

या

संबन्धित विषय में प्रथम श्रेणी की उपाधि तथा एक वर्ष का अनुभव.

या

स्नातक की उपाधितया ३ वर्ष का अनुभव.

शासकीय विविध-शिल्प शालाओं तथा कला निकेतन जवलपुर के सहायक व्याख्याता/जूनियर व्याख्याता/सीनियर अनुदेशक/तकनीकी अध्यापक.

२१ अधिक से अधिक ३० वर्ष

संबन्धित विषय में कम से कम इंजीनियरी की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि.

या

संबन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि तथा इस के समकक्ष पत्रोपाधि तथा लगभग ३ वर्षों का व्यावहारिक/अध्यापन अनुभव.

विविध-शिल्प शालाओं में कर्मशाला अधीक्षक.

२२ अधिक से अधिक ३५ वर्ष

यात्रिक इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी बी. ई. तथा बी. एस.सी. इंजीनियरी तथा १ वर्ष का व्यावहारिक अनुभव.

या

प्रथम या द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि तथा ५ वर्ष का अनुभव, जिसमें किसी विद्यार्थ कर्मशाला में ३ वर्ष का अनुभव होना चाहिये.

टीप.—ए. एम. आई. ई. (ए. एम. आई. ई. का सेकसम "ए" तथा सेकसम "बी" उत्तीर्ण) को ग्रहण, द्वितीय श्रेणी की उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी.

अधीक्षक, शासकीय माध्यमिक तकनीकी शाला द्वितीय श्रेणी.

२३ अधिक से अधिक ४० वर्ष

यात्रिक विद्युत् इंजीनियरी में बी. ई. या इसके समतुल्य तथा लगभग एक वर्ष का व्यावसायिक-अध्यापन अनुभव.

(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

या

यात्रिक/विद्युत् इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि या इसके समतुल्य पत्रोपाधि तथा तकनीकी शिक्षा के प्रशासन/कर्मशाला में या अध्यापन में लगभग ५ वर्षों का अनुभव, जिसमें से ३ वर्ष का अनुभव अध्यापन के क्षेत्र में होना चाहिये।

टीप—ए. एम. आई. ई. (ए. एम. आई. ई. सेवान 'ए' तथा 'बी' उत्तीर्ण) को अर्हता, द्वितीय श्रेणी की उपाधि के समकक्ष मानी जायेगी।

व्याख्या, (तकनीकी) माध्यमिक तकनीकी शाला, द्वितीय श्रेणी, जिसमें व्याख्याता, तकनीकी स्ट्रीम पाठ्यक्रम में भी शामिल है।

कर्मशाला (वर्कशाप) फोरमेन, माध्यमिक तकनीकी शाला, द्वितीय श्रेणी

व्याख्याता (तकनीकी) वास्तु मान चित्रकारिता के लिए

अधिक से अधिक ३० वर्ष

तब

२१ अधिक से अधिक ३० वर्ष

इंजीनियरी की संबंधित शाला में उपाधि या इसके समतुल्य या

इंजीनियरी की संबंधित शाला में पत्रोपाधि या इसके समतुल्य तथा ३ वर्षों का व्यावहारिक-अध्यापन अनुभव।

टीप—ए. एम. आई. ई. की अर्हता इंजीनियरी की उपाधि के समकक्ष मानी जायेगी।

यात्रिक इंजीनियरी में पत्रोपाधि या इसके समतुल्य तथा किसी विश्वात कर्मशाला में लगभग ३ वर्ष का अनुभव।

प्रथम या द्वितीय श्रेणी की बी. आई. या वास्तुकला में एन. डी. तथा प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए १ वर्ष का और द्वितीय के लिए २ वर्ष का अनुभव।

व्याख्याता (तकनीकी) २१ अधिक से अधिक ३० वर्ष प्रथम या द्वितीय श्रेणी की बी. आइ. या वास्तुकला में एन. डी. तथा वास्तु मान चित्रकारिता के लिए १ वर्ष का और द्वितीय के लिए २ वर्ष का अनुभव.

चिकित्सा प्रयोग शाला प्रादेशीयिकी के लिए २१ तदैव कम से कम द्वितीय श्रेणी एम. बी. बी. एस. या इसके समतुल्य तथा एक वर्ष का व्यावसायिक अनुभव या एम. बी. बी. एस. या जीव रसायन शास्त्र में एम. एस. सी. या इसके समतुल्य तथा इसी प्रकार के पाठ्यक्रमों में अध्यापन का ३ वर्ष का अनुभव.

मुद्रण के लिये २१ तदैव इंटर विज्ञान/मुद्रण में पत्रोपाधि तथा मुद्रण उद्योग में पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव.

ललित तथा व्या. कला के लिए २१ तदैव किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कला में पत्रोपाधि, अधिमातल: प्रथम श्रेणी में या इसके समतुल्य तथा पत्रोपाधि तथा वाणिज्यिक या व्यावहारिक कला में ३ वर्ष का अध्यापन या व्यावसायिक अनुभव.

व्याख्याता और तकनीकी वाणिज्य या व्यापार प्रबंध में द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपाधि तथा वाणिज्य में प्रथम श्रेणी की उपाधि और इसके साथ ही १ वर्ष का अध्यापन अनुभव.

सचिवालयीन कार्य पद्धति तथा शीघ्र-लेखन के लिए २१ तदैव अधिमान्यत:—शीघ्रलेखन में पत्रोपाधि.

बस्त्र सज्जा तथा वेशभूषा निर्माण के लिए २१ तदैव गृह विज्ञान में द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि तथा बस्त्र (टेक्सटाइल) और बस्त्र निर्माण (क्लोरिंग) में विशिष्टता वांछनीय बस्त्र (टेक्सटाइल) बस्त्र निर्माण (क्लोरिंग) में मास्टर उपाधि या अध्यापन का अनुभव.

सहायक व्याख्याता/जूनियर व्याख्याता/सीनियर अनुदेशक-चिकित्सा प्रयोग शाला प्रादेशीयिकी के लिए २१ तदैव रसायन शास्त्र में एम. एस. सी. तथा चिकित्सा प्रयोग शाला अध्यापक में २ वर्ष का अनुभव.

वास्तु मान चित्रकारिता के लिए २१ तदैव बी. आर्क या वास्तु-कला (आर्किटेक्चर) में एन. डी. या वास्तु कला में पत्रोपाधि या इसके समतुल्य तथा ३ वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव.

(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

(६)

सचिवालयीन कार्य पद्धति और शीघ्रलेखन के लिए

२१ अधिक से अधिक ३० वर्ष

वाणिज्य में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर-उपाधि या वाणिज्य में प्रथम श्रेणी की उपाधि तथा हिन्दी अंग्रेजी शीघ्रलेखन म पत्रोपाधि.

या

द्वितीय श्रेणी में बी. काम. तथा हिन्दी अंग्रेजी शीघ्रलेखन में पत्रोपाधि और दो वर्ष का अनुभव

या

द्वितीय श्रेणी में इंटर वाणिज्य और किसी महत्वपूर्ण स्थिति से विभागाध्यक्ष या व्यापार संगठन में इसके समतुल्य व्यक्ति के शीघ्रलेखक के रूप में ७ वर्ष का अनुभव.

वस्त्र सज्जा और वेशसूत्रा निर्माण के लिए

२१

तद्व

कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि और वस्त्र निर्माण व्यवसाय में विशिष्टीकरण और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वस्त्र-निर्माण व्यवसाय में अनुदेश प्रमाण पत्र.

या

मैट्रिक और टेलर मास्टर पत्रोपाधि या इसके समतुल्य अर्हता. किसी विख्यात वस्त्र निर्माण संस्थान में कम से कम छः वर्ष का व्यावसायिक अनुभव. उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अनुदेश देने में समर्थ होना चाहिए. ऐसे उम्मीदवार को अधिमान दिया जायगा, जिसे उपरोक्त अर्हताओं के अतिरिक्त कढ़ाई और सिलाई में भी अर्हता प्राप्त हो.

मुद्रण औद्योगिकी के लिये

२१

तद्व

संलित तथा व्या. कला के लिये

२१

तद्व

इंटर विज्ञान मुद्रण में पत्रोपाधि तथा मुद्रण उद्योग में ३ वर्ष का अनुभव. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कला की उपयुक्त शाखा में कमसे कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि तथा २ वर्ष का व्यापार/व्यावसायिक अनुभव.

(५)

(१)

(२)

शिल्प शालाओं का व्याख्याता, तकनीकी ३५०—८५०,
व्याख्याता, तकनीकी इंजीनियरी महाविद्यालय तथा
विविध शिल्प शालाएँ: २५०—६०० (पुराना)

व्याख्याता, तकनीकी विविध शिल्प शालाएँ: ३५०—८५०

व्याख्याता, गैर तकनीकी, इंजीनियरी महाविद्यालय ३५०—
८५०. प्राध्यापक, उपाधि महाविद्यालय, ५५०—६५०

व्याख्याता, गैर तकनीकी विविध शिल्प शालाएँ, २७५—५७५,
सहायक प्राध्यापक, ३६०—७००.

व्याख्याता, गैर तकनीकी माध्यमिक तकनीकी शालाएँ
२५०—४५०

सहायक कर्मशाला अधीक्षक, इंजीनियरी महाविद्यालय
३५०—८५०/, कर्मशाला अधीक्षक, विविध शिल्प
शालाएँ: ३५०—८५०.

सहायक कर्मशाला अधीक्षक, विविध शिल्प शालाएँ: ३६०—
५००/, अधीक्षक, माध्यमिक, तकनीकी शालाएँ (यांत्रिक
शाखा) ३६०—७००.

(३)

व्याख्याता, तकनीकी, इंजीनियरी
महाविद्यालय ३५०—८५०.

विभागाध्यक्ष, विविध शिल्प शालाएँ
६००—१०००.

प्रवाचक, गैर तकनीकी इंजीनियरी महा-
विद्यालय ६००—११५०.

व्याख्याता, गैर तकनीकी, इंजीनियरी
महाविद्यालय ३५०—८५०.

व्याख्याता, गैर तकनीकी शिल्प शालाएँ
२७५—५७५ - ३१० - ७००

कर्मशाला अधीक्षक, इंजीनियरी महा-
विद्यालय, ६००—११५०.

कर्मशाला अधीक्षक, विविध शिल्प
शालाएँ ३५०—८५० तथा महा-
यक कर्मशाला अधीक्षक, इंजीनि-
यरी महाविद्यालय ३५०—८५०,
कर्मशाला फोरमैन, कला निकेतन,
जबलपुर (३५०—८५०)

(४)

(४०)

तदेव

तदेव

तदेव

कर्मशाला अधीक्षक, विविध शिल्प शालायें ३५०—५५ तथा सहायक कर्मशाला अधीक्षक, इंजीनियरी महाविद्यालय ३५०—५५०, कर्मशाला फोरमैन, कला निकेतन, जबलपुर (३५०—५५०)

तदेव

अधीक्षक, माध्यमिक तकनीकी शालायें ३६०—७००

व्याख्याता, तकनीकी विविध शिल्प शालायें/कला निकेतन, जबलपुर ३५०—५५०.

तदेव

सहायक कर्मशाला अधीक्षक, विविध शिल्प शालायें, २६०—५००/, सहायक व्याख्याता / जूनियर व्याख्याता, / सीनियर अनुदेशक, विविध शिल्प शाला, २६०—५०० कर्मशाला फोरमैन तथा व्याख्याता, माध्यमिक तकनीकी शालायें, ३००—५५०, तथा व्याख्याता, स्टीम पाठ्यक्रम माध्यमिक तकनीकी शालाएं (२७५—४७५)

सहायक व्याख्याता/सीनियर अनुदेशक/ तकनीकी शिक्षक, कला निकेतन, जबलपुर, (२६०—५००)

तदेव

प्राचार्य, कला निकेतन जबलपुर ६००—१०००.

तदेव

विभागाध्यक्ष, मुद्रण ६००—१०००. व्याख्याता, मुद्रण और ललित तथा व्यावहारिक कलाएं ३५०—५५०

पहिले कर्मशाला अधीक्षक, जवाबदारी शालायें, २६०—५००/, अधीक्षक, प्रथमिक, तकनीकी शालायें (यांत्रिक शाखा) ३६०—७००.

कर्मशाला फोरमैन, माध्यमिक तकनीकी शाला, ३००—५५० व्याख्याता, तकनीकी यांत्रिक तथा विद्युत शाला की माध्यमिक, तकनीकी शालायें ३००—५५०

सहायक व्याख्याता / जूनियर व्याख्याता/सीनियर अनुदेशक, तकनीकी शिक्षक, विविध शिल्प शाला जिसमें महिला विविध शिल्प शालायें तथा कला निकेतन, जबलपुर शामिल नहीं है, २६०—५०० तथा अधीक्षक, माध्यमिक तकनीकी शाला, ३६०—७००.

जूनियर अनुदेशक, विविध शिल्प शाला तथा कला निकेतन, जबलपुर, १६०—३००, मास्टर, अनुदेशक, माध्यमिक तकनीकी शाला १६०—३००, तथा मानचित्रकार १७०—३१५ + २५४. विशेष वेतन प्रति-माह.

कला निकेतन, जबलपुर

व्याख्याता, तकनीकी विविध शिल्प शाला ३५०—५५० तथा कला निकेतन, जबलपुर (उपाधि-धारी)

व्याख्याता, मुद्रण ३५०—५५०.

सहायक व्याख्याता/सीनियर अनुदेशक मुद्रण तथा ललित तथा व्यावहारिक कला २६०—५००.

(१)

(२)

(३)

(४)

महिला विविध शिल्प शाला, भोपाल

सहायक व्याख्याता/जूनियर व्याख्याता/सीनियर अनुदेशक
२६०.५००

टीप:—सभी अध्यापन-पदों के लिए, पदोन्नत किये जाने वाले
व्यक्ति को, पदोन्नति पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक
अर्हताएं पूरी करनी होंगी।

प्रशासनिक पद

व्याख्याता, तकनीकी इंजीनियरी महाविद्यालय तथा विविध शिल्प
शाला ३५०—५५०/तथापि शासन अन्य प्रशासनिक संवर्ग से
ऐसे व्यक्तियों के लेने का अधिकार मरभित
रखता है जो उसके मत में प्रत्येक पद से संबंध कर्तव्यों/जिम्मे-
दारी को वहन करने के उपयुक्त हों।

व्याख्याता, गैर तकनीकी २७५—५७५ विविध शिल्प शाला तथा
अधीक्षक, संचालनालय तकनीकी शिक्षा

व्याख्याता गैर तकनीकी २७५—५७५ विविध शिल्प शालाएं
व्याख्याता गैर तकनीकी (२५०-४५०) माध्यमिक तकनीकी
शाला तथा अधीक्षक, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल तथा
संचालनालय तकनीकी शिक्षा।

(५)

व्याख्याता २५०—५५० तकनीकी /
२७५/५७५/(गैर तकनीकी)

उप संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा उप-
सचिव. एम. पी. बी. टी. ई. ६००—
११५० तकनीकी संवर्गों से लिए गए
व्यक्ति के लिए ६००—१००० तथा
गैर तकनीकी संवर्गों के लिए ५५०—
६५०.

सहायक संचालक तकनीकी शिक्षा
(२७५—७००)

सहायक सचिव, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा
मण्डल (२७५—७००)

(६)

लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा
उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट
लोक सेवा आयोग का कोई भी
सदस्य.

२ शिक्षा सचिव.

३. संचालक तकनीकी शिक्षा।

(४२)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Educational Service Rules Technical Branch namely.

2. **Short title and commencement.**—These rules may be called the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch) Recruitment Rules.

These rules shall come into force with effect from the date of notification in Madhya Pradesh Gazette”.

3. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Appointing Authority” in respect of the service means the State Government.
- (b) “Commission” means the Madhya Pradesh Public Service Commission.
- (c) “Government” means the Government of Madhya Pradesh.
- (d) “Governor” means the Governor of Madhya Pradesh.
- (e) “Schedule” means a Schedule appended to these rules.
- (f) “Scheduled Castes and Scheduled Tribes” shall have the same meaning as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the constitution and mean such Caste and Tribes as are notified as such by the State Government from time to time.
- (g) “Service” means the Madhya Pradesh Educational Service Technical Branch.
- (h) “State” means the State of Madhya Pradesh.

4. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions Service) Rules 1961, these rules shall apply to every member of the service.

5. **Constitution of the Service.**—The service shall consist of the following persons namely:—

- (1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantially the posts specified in the Schedule 1.
- (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विद्यापीठ, भोपाल

अध्यक्षा गैर तब २७५-२७५ विविध शालाएं सहायक सचिव, मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा
व्याख्याता गैर तकनीकी (२५०-४५०) माध्यमिक तकनीकी मण्डल (२७५-०००)
शाला तथा अधीक्षक, मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल तथा संचालनालय तकनीकी शिक्षा.

6. **Classification, Scale of Pay, etc.**—The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule I hereunto annexed :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service either in a permanent or temporary basis.

7. **Method of recruitment.**—(1) Recruitment to the Service, after commencement of these rules, shall be by the following methods, viz.—

- (a) by direct recruitment by selection;
- ✓ (b) by promotion of members of the Madhya Pradesh Educational Service from lower post cadre to higher post cadre.
- (c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts as such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in the Schedule II hereunto annexed to the number of duty posts.

✶ (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be in accordance with the Schedule No. II. But cases may arise where it may not be possible to strict to the fixed percentage rigidly *e. g.* if there are only 3 posts and 50 per cent of them are to be filled in by direct recruitment and the other 50 per cent by promotion, the division of the posts may be 1 : 2 for direct recruitment and promotion respectively, thus preference should be given to the departmental candidates for promotions subject to the condition that suitable and qualified candidates are available in the department otherwise the posts reserved for promotion would also be filled in by direct recruitment.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the Service so require, the Government may, after consulting the Commission, adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

8. **Appointment to the Service.**—(1) All appointments to the Service after the commencement of these Rules shall be made by the Government and such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule 7.

(2) In accordance with the national policy of the Government of India, persons recruited in accordance with these rules to permanent or temporary posts of Lecturers Technical (Class I), in the branches of Civil, Mechanical, Electrical, Mining, Tele-Communication or Electronics would be liable to serve for a minimum period of 4 years, including the period of training, in the Defence Service or on works relating to Defence efforts anywhere in India or abroad, if so required. The liability in this behalf will be limited to first 10 years of service and up to 35 years of age.

9. Conditions of eligibility of direct recruits.—In order to be eligible to be selected a candidate must satisfy the following conditions, viz.—

(i) Age. (a) He must have attained the age of (as in column 3 Schedule III) and not attained the age of (as in column 4 Schedule III), on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to scheduled caste or a scheduled tribes.

(c) The upper age limit will also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) Permanent teachers of Education Department would be allowed to deduct from their age the total period spent in teaching in Government institution subject to the proviso that the resultant age does not exceed the upper age limit prescribed for the post.

(ii) A candidate who is a temporary Government Servant should not be more than 35 years of age, in respect of post for which the upper age limit is 30 years.

(iii) A candidate who is retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "retrenched Government" Servant denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

(v) The upper age limit will also be relaxable to 35 years in the case of bona fide displaced Gold Smiths, i.e. those who are in possession of identification certificate in accordance with the Labour Department memo No. 3345-4005/XVI, dated 6th May 1963. This is applicable in respect of posts the maximum age limit for which is 30 years.

Explanation.—The term "ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:—

(1) Ex-Servicemen released under mustering out concessions,

- (2) Ex-Servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment,
- (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit,
- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short services Regular Commissioned Officers),
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies,
- (6) Ex-servicemen invalided out of service.
- (7) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,
- (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-short, wounds, etc.

N.B. Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in paragraph 9 (i) (c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after taking the selection. That will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case will these age limits be relaxed.

Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the selection.

(ii) Educational qualifications.—He must possess the educational and experience qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III. Provided that—

(a) In exceptional cases the Commission may, on the recommendation of the Government, treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination conducted by other institutions by a standard which, in opinion of the Commission, justifies the consideration of the candidate for selection.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign Universities, being Universities not specifically recognised by Government may also be considered for selection at the discretion of the Commission.

(iii) Fees.—He must pay the fees prescribed by the commission.

10. Disqualification.—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for selection.

11. Commission's decision about the eligibility final.—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate shall be final.

12. **Direct recruitment by selection.**—(1) A selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the Commission, from time to time determine.

(2) The selection of candidates for the service shall be made by the Commission after interviewing them.

(3) 15 percent and 18 percent of the available vacancies for direct recruitment plus the carried forward vacancies from the last occasion, if any, shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 13 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as the case may be under sub-rule (3).

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them the remaining vacancies shall be filled from among other candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for the next selection in the manner indicated in Rule 12 (3) above:

Provided that if a sufficient number of suitable candidates is not available in the next selection to fill all the reserved vacancies, including the additional vacancies the additional vacancies or such of them as are not filled, shall lapse.

13. **List of candidates recommended by the Commission.**—The Commission shall forward to the appointing authority the names and other details of candidates whom they consider most suitable duly arranged in order of preference and of candidates belonging to scheduled Castes and Scheduled Tribes who, though not qualify by that standard, are declared by Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration.

14. **Appointments by promotion.**—(1) there shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

2. The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

15. **Conditions of eligibility for promotion/transfer.**—The Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of July of that year, had completed atleast 3 years of service (whether officiating or substantive) on the lower post for promotion to higher post as mentioned in column 2 of Schedule IV or any other post or posts declared equivalent there to by the Government, subject to their fulfilling the minimum experience qualification for the promotion post wherever prescribed for direct recruitment to the promotion post. However, the Government may, at any time, modify this rule either wholly or partially in respect of any cadre for which such modification may, in their opinion, appear justified, by issuing a separate notification in this behalf.

16. **Preparation of list of suitable Officers.** (1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in Rule 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service. This list shall be sufficient to cover probable vacancies for two years.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the cadre concerned:

Provided that any junior who, in the opinion of the committee, is of an exceptional merit and suitability may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch) the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. **Consultation with the Commission.**—The list prepared in accordance with rule 16 shall then be forwarded to the Commission by the Government alongwith.

(i) The records of all persons included in the list.

(ii) The records of all members of the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch) who are proposed to be superseded by the recommendations made in the list.

(iii) The reasons as recorded by the Committee for the proposed supersession of any member of the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch) and

(iv) The observations of the Government on the recommendations of the Committee.

18. **Select list.**—(1) The Commission shall consider the list prepared by the Committee alongwith the documents received from the Government and unless it considers any change necessary approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government the Commission shall inform the Government of the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the Government may approve the list finally with such modification, if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Commission shall form the Select List for promotion of the members of the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch).

(4) The Select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16:

Committee shall in Rule 15 on/transfer to or two years. provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of on the part of any person included in the Select list, a special review of the list may be made at the instance of the Government and the Commission, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

Merit and suitability. 9. Appointment to the Service from the Select List.—(1) Appointment of Officers included in the select list to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list :

When required in order. Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the Select List or who is not next in order in the Select List, may be appointed to the Service if the Government is satisfied that the vacancy is likely to last for more than three months.

When the name of a person is of an excellence above that of any other person. 2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before the appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unfit for appointment to the service.

When the name of a person is of an excellence above that of any other person. 20. Probation.—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of one year.

When the name of a person is of an excellence above that of any other person. 21. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

When the name of a person is of an excellence above that of any other person. 22. Relaxation.—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Government to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to them to be just and equitable:

When the name of a person is of an excellence above that of any other person. Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable than that provided in these rules.

When the name of a person is of an excellence above that of any other person. 23. Repeal and Saving.—All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of the persons covered by these rules:

When the name of a person is of an excellence above that of any other person. Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Changes in the list of Government officers, if any, of the Select List, as may be made from time to time, shall be subject to the approval of the Government.

the Select List of Government Officers (Technical Branch)

and revised in accordance with the provisions of these rules.

SCHEDULE No. 1.
MADHYA PRADESH EDUCATIONAL SERVICE ADMINISTRATIVE TECHNICAL AND NON TECHNICAL
BRANCH

S. No.	Name of posts included in the service	No. of posts	Classification	Scale of pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGES (TECHNICAL CADRE)					
1	Principal, Govt. Engg. Colleges in Madhya Pradesh	5	Class 1	1500—1800	
2	Professors (Technical)	23	Class 1	1000—1200	
	(1) Civil	5			
	(2) Mechanical	5			
	(3) Electrical	5			
	(4) Appl. Mechanics	2			
	(5) Tele-Communication	2			
	(6) Chemical	1			
	(7) Light Metal and Alloys Technology	1			
	(8) Mining	1			
	(9) Metallurgy	1			
		23			
3	Readers (Technical)	65	Class 1	600—1150	
	(1) Civil	20			
	(2) Mechanical	11			
	(3) Electrical	11			
	(4) Appl. Mechanics	5			
	(5) Tele-Communication	5			

3	Readers (Technical)	65	Class I	600-1150
(1)	Civil	20		
(2)	Mechanical	11		
(3)	Electrical	11		
(4)	Appl. Mechanics	5		
(5)	Tele-Communication	5		

13	(6) Chemical/Engg. Chemistry	5	Class I	600-1000
14	(7) Light Metal and Alloys Technology	2		
15	(8) Mining	4	Class I	800-1520
16	(9) Metallurgy	3	Class I	

III ГОЛЕКИМЕНИЛ БОКК ТЕХНИК (ТЕХНИЦИТОВ ДВЕ)

11	4	Workshop Superintendent	5	Class II	512-112
10	5	(1) Mechanical	5	Class I	600-1150
11	5	Lecturers (Technical)	8	Class I	512-212
		(1) Civil	27		
		(2) Mechanical	37		
		(3) Electrical	23		
		(4) Applied Mechanics	6		
		(5) Tele-Communication	30		
		(6) Chemical/Engg. Chemistry	18		
		(7) Light Metal and Alloys Technology	33		
		(8) Mining	4		
		(9) Metallurgy	4		
			30		
			116		

12	6	Asstt. Workshop Superintendent	9	Class I	350-850
13	7	(1) Mechanical	9	Class I	1000-1200
14	7	Professors (Non-Technical)	30	Class I	1120
		(1) Physics	4		
		(2) Chemistry	4		
		(3) Mathematics	4		
		(4) Geology	1		
			13		

GOVT. ENGINEERING COLLEGES (NON-TECHNICAL CADRE) I

(22)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8 Readers (Non-Technical) 20 Class I -- 600-1150

(1) Physics 6
 (2) Chemistry 5
 (3) Mathematics 6
 (4) Geology 3

 20

Lecturers (Non-Technical) 63 Class I -- 350-850

(1) Physics 23
 (2) Chemistry 18
 (3) Mathematics 20
 (4) Geology/Appl. Geology 2

 63

10 Lecturer in English 8 Class II -- 275-575
 11 Registrar 2 Class II -- 275-475

III. GOVERNMENT POLYTECHNIC (TECHNICAL CADRE)

12 Principal 12 Class I .. 800-1250
 13 Head of Department 41 Class II .. 600-1000

(1) Civil 9
 (2) Mechanical 11
 (3) Electrical 11

III. GOVERNMENT POLYTECHNIC (TECHNICAL CADRE)

12	Principal	12	Class I	..	800—1250
13	Head of Department	41	Class I	..	600—1000
	(1) Civil				9
	(2) Mechanical				11
	(3) Electrical				11

(7) Textile	1			
(8) Auto-mobile	1			
(9) Mining	2			
(10) Pharmacy	1			
(11) Architectural	1			
(12) Medical Lab. Technology	1			
							41

IV. GOVT. WOMEN POLYTECHNIC (NON-TECHNICAL CADRE)

14	Principal, Women Polytechnic	1	Class I	..	700—1100
15	Head of Department	2	Class II	..	360—700
	(1) Secretarial Practice and Stenography	1			
	(2) Costume Design & Dress Making	1			
							2

16 Lecturers Technical Polytechnics including Women

	Polytechnic			123	Class I	..	350—850
(1)	Civil	30			
(2)	Mechanical	32			
(3)	Electrical	25			
(4)	Structural	1			
(5)	Metallurgy	6			
(6)	Textile	1			
(7)	Leather Technology	2			
(8)	Auto-mobile	1			
(9)	Engineering	4			
(10)	Engineering Chemistry	7			
(11)	Industrial Chemistry	1			

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11) Инженерия Сремиста	1					
10) Инженерия Сремиста	1					
(1) Инженерия	4					
(8) Авто-моторе	1					
(1) Инженерия Технолога	3					
(9) Техника	1					
(2) Металургия	12					
(7) Металургия	321					
(3) Инженерия	33					
(11) Инженерия Технолога	30					
(1) Славия	123					
Инженерия						
16) Инженерия Технолога						
17) Lechn. etis (Non-Technical)	63					
	3					
(1) Physics Design & Dress Making	13					
(2) Chemistry & Science and Technology	13					
(3) Mathematics	16					
(4) Humanities/Labour	15					
(5) Accountancy						
(6) Secretarial Practice and Stenography	1					
(7) Pharmacy	1					
18) Инженерия Технолога						
18) Asst. Lecturers/Jr. Lecturers/Senior Instructor	144					
(1) (Technical)						
(1) V. Ch. Technician	1					
(1) Civil	149					
(2) Mechanical	340					
(3) Electrical	137					
(4) Structural	1					
(5) Automobile	1					
(6) Metallurgy	1					
(7) Pharmacy	2					
(8) Leather Technology	2					

133 Class I
Class II -- 320-329
273-279

3 Class II -- 360-369
1 Class I -- 300-3100
Class II -- 360-700
Class II (МОА-ТЕХНИКУМ СУДБЕ)

(3)

63

144

Class II -- 260-500

(1) Asst. Lecturers/Jr. Lecturers/Senior Instructor

(1) Mechanical	340			
(2) Electrical	137			
(3) Structural	1			
(4) Automobile	1			
(5) Metallurgy	1			
(6) Pharmacy	2			
(7) Technology	2			
(8) Architecture	1			
(9) Stenography	2			
(10) Costume Design and Dress Making	2			
	144			

19 *Workshop Superintendent* (1) *Биробиджан* 3 12 Class I -- 350-850

(1) *Mechanical* 11 1
 (2) *Electrical* 1
 (3) *Electrical* 12 3
 (5) *Mechanical* 3

20 *Workshop Superintendent* (1) *Механика* 9 3 Class II -- 260-500

58 *Узяті існуючі технічні училища*
 V. GOVERNMENT SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS (TECHNICAL CADRE)

21 *Superintendent* 10 15 Class II -- 360-700

22 *Teachers (Technical)* 30 30 Class II -- 300-580

(1) *Mechanical* 15 1
 (2) *Electrical* 15 1
 (5) *Mechanical* 1 11 Class II -- 275-475

23 *Teachers (Technical for stream courses)* 11 11 Class II -- 275-475

31 (1) *Teachers (Technical)* 4 10 Class I -- 320-820

(2) *Mechanical* 3
 (3) *Workshop Superintendent* 4 5 Class I -- 600-1000

32 *Teachers* 11 1 Class I -- 600-1000

24 *Workshop Foreman* 15 15 Class II 300-580

(1) (3) (4) (2) (2)

(3) (2) (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

VI. KADAMIKETAN JABALPUR (TECHNICAL CADRE)

25	Principal	-	1	Class I	-	600-1000
26	Head of Deptt. in Printing Technology	-	2	Class I	-	600-1000
27	Lecturers (Technical)	-	10	Class I	-	350-850
	(1) Civil	-	-	-	-	-
	(2) Mechanical	-	-	-	-	-
	(3) Electrical	-	-	-	-	-
	(4) Mech. Draughtsmanship	-	-	-	-	-
	(5) Printing Technology	-	-	-	-	-
	(6) Fine/Applied Arts	-	-	-	-	-
						10

28	Asst. Lecturers (Senior Instructors) Technical Teachers	-	16	Class II	-	260-500
	(1) Civil	-	3	-	-	-
	(2) Mechanical	-	3	-	-	-
	(3) Electrical	-	3	-	-	-
	(4) Automobile	-	1	-	-	-
	(5) Tele-Communication	-	1	-	-	-
	(6) Printing	-	2	-	-	-
	(7) Fine/Applied Arts	-	3	-	-	-
						16
29	Workshop Foreman	-	1	Class I	-	350-850

(3) Electrical	1	Class I	350—850
(4) Automobile	1		
(5) Tele-Communication	1		
(6) Printing	2		
(7) Fine/Applied Arts	3		
	16		
29 Workshop Foreman	1	Class I	350—850

VI ADMINISTRATIVE POSTS UNDER THE DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION AND M.P. BOARD OF TECHNICAL EDUCATION

30 Director of Technical Education	1	Class I	1500—1800
31 Dy. Director of Technical Education Dy. Secretary, M. P. Board of Technical Education.	5	Class I	600—1000/600—1150 if persons are drawn from the cadre of Head of Deptt. from Polytechnic or Reader from Engg. College respectively. 550—950 if persons from Non-Tech. Teaching/Administration side are drawn.
32 Asstt. Director of Technical Education Asstt. Secretary M. P. Board of Technical Education.	6	Class II	275—700.

SCHEDULE II

S. No.	Name of Department	Name of service	Total No. of duty post	Percentage of the number of duty post to be filled		
				By direct recruitment vide rule 7 (a)	By promotion of substantive / temporary members of the service vide Rule 7 (b)	By transfer of persons from other services vide Rule 7 (c)
1	Education Department Technical Branch	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(1) TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) ENGINEERING COLLEGES				
				Class I		
			5		100per cent	
			23		25per cent	75per cent
		Principal Engineering Colleges (Administrative & Teaching)				
		Professors (Technical Engineering Colleges)				
		Civil	5	1	4	
		Mechanical	5	1	4	
		Electrical	5	1	4	
		Appl. Mechanics	2	1	1	
		Tele-Communication	2	1	1	
		Chemical	1	1	1	
		Light Metal & Alloys	1	1	1	
		Technology	1	1	1	
		Mining	1	1	1	
		Metallurgy	1	1	1	
		Readers (Tech.) Engineering Colleges	23			
		Civil	20	5	15	
		Mechanical	11	3	8	
		Electrical	11	3	8	

Appl. Mechanics - 5 - 1 1 4
 Tele-Communication - 5 - 1 1 4

Metallurgy	1	1	1
Readers (Tech.) Engineering Colleges	23	66	75 per cent
Civil	20	5	15
Mechanical	11	3	8
Electrical	11	3	8

Appl. Mechanics	5	1	4
Tele-Communication	5	1	4
Chemical Engg.	5	1	4
Chemistry	2	1	1
Light Metal & Alloys Technology	4	1	3
Mining	3	1	2
Metallurgy	66		

Workshop Superintendent Engineering Colleges.	5	100 per cent
Mechanical	5	5
Lecturers (Tech.) Engineering Colleges.	116	80 per cent 20 per cent

Civil	27	5
Mechanical.	37	7
Electrical	23	5
Appl. Mechanics	6	1
Tele-Communication	6	1
Chemical/Engg. Chemistry	8	2
Light metal & Alloys	1	
Technology		
Mining	4	1
Metallurgy	4	1
	116	

Asstt. Workshop Superintendents	9	50 per cent 50 per cent
Mechanical	9	4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(2) NON-TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) ENGINEERING COLLEGES

CLASS I

Professors of Engineering Colleges	25 per cent	50 per cent	25 per cent by promotion of professors Collegiate side (550-950).
Physics ..	1	2	1
Chemistry ..	1	2	1
Mathematics ..	1	2	1
Geology ..	1	1	1
	<u>13</u>		

(8)

Readers of Engineering Colleges	25 per cent	50 per cent	Do:
Physics ..	2	3	1
Chemistry ..	1	3	1
Mathematics ..	2	3	1
Geology ..	1	1	1
	<u>20</u>		

Lecturers, Engineering Colleges	25 per cent	25 per cent	50 per cent by promotion of Assist. Professor from Collegiate side (360-700).
	63		

Physics ..	6	6	11
Chemistry ..	4	5	9
Mathematics ..	5	5	10
Geology/Appl. Geology	1	1	1

Physics ..	23	6	11
Chemistry ..	18	4	9
Mathematics ..	20	5	10
Geology/Appl. Geology ..	2	1	1
	<hr/> 63		

CLASS II

Lecturer, English ..	8	100	-
Registrar (Administration)	2	100 per cent	-

(3) TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) POLYTECHNICS

CLASS I

Principals of Polytechnics Administrative and Teaching 12

Head of Department Polytechnics 41

Civil ..	9	2	7	100 per cent
Mechanical ..	11	3	8	75 per cent
Electrical ..	11	3	8	
Appl. Mechanics ..	1	1	1	
Structural ..	1	1	1	
Metallurgy ..	1	1	1	
Textile ..	1	1	1	
Automobile ..	1	1	1	
Mining ..	2	1	1	
Pharmacy ..	1	1	1	
Architectural ..	1	1	1	
Medical Lab. ..	1	1	1	
Technology	
	<hr/> 41			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<i>Workshop Superintendent Polytechnics</i>	12	50 per cent	50 per cent	
		Mechanical	11	5	6	
		Leather Technology	1	1		
		<i>Lecturers (Tech.) Polytechnics including Women Polytechnic.</i>	123	80 per cent	20 per cent	
		Civil		32	7	
		Mechanical		25	7	
		Electrical		20	5	
		Structural		1		
		Metallurgy		5	1	
		Textile		1		
		Leather Technology		1	1	
		Automobile		1		
		Mining		3	1	
		Engineering Chemistry		5	2	
		Industrial Chemistry		1		
		Appl. Geology		1	1	
		Architectural		1		
		Medical Lab, Technology		1		
				123		

(43)

CLASS II

Asstt. Lecturers/Jr. Lecturers/Sr. Inspectors of polytechnic including Women polytechnic, Bhopal.

	114	80 per cent	20 per cent
Civil	49		9
Mechanical	40		8
Electrical	37		7
Structural			

Civil	49	9	40	9
Mechanical	40	8	32	8
Electrical	37	7	30	7
Structural	1	1	..
Automobile	1	1	..
Metallurgy	1	1	..
Pharmacy	2	1	..
Leather Technology	2	1	..
Mining	4	1	..
Medical Lab. Technology	2	3	..
Architectural	1	1	..
Secretarial Practice &	2	1	..
Stenography	1	..
Costume Design & Dress making	2	1	..
	<u>114</u>					

Asstt. Workshop Superintendent
Polytechnics.

9 50 per cent. 50 per cent. (40 30)

(4) GOVERNMENT WOMEN POLYTECHNIC (NON-TECHNICAL) CADRE.

Mechanical	9	4	5
Principal, women polytechnic	1	100 per cent.	--

(5) NON-TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) POLYTECHNICS INCLUDING WOMEN POLYTECHNIC

Head of Department	2	100 per cent	--
Women Polytechnic.
Secretarial Practice & Stenography.	1	1	..

(FY D)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Costume Design & Dress making.	--	1		1	--
	<i>Lecturers (Non-Technical)</i>	..	63		75 Percent	25 Percent
	Physics	..	13		10	3
	Chemistry	..	13		10	3
	Mathematics	..	16		12	4
	English/Humanities/Labour Relation and Accountancy.	..	15		12	3
	Secretarial Practice & Stenography.	..	1		1	..
	Costume Design & Dress making.	..	1		1	..
	Pharmacy	..	4		3	1
			4		--	
			<hr/>			
			63			

(6) TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS

CLASS II

<i>Superintendent (Administrative and Teaching)</i>	..	15	25 Percent	75 Percent
<i>workshop Foreman Mechanical</i>	..	15	25 percent	75 Percent
<i>Lecturers (Tech.)</i>	..	30	80 percent	20 Percent
Mechanical	..	15	11	4
Electrical	..	15	11	4
		<hr/>		
		30		11 Percent

<i>Lecturers (Tech.) Steam Courses</i>	..	--	11	80 percent	20 percent
Civil	..	--	4	3	1

Lecturers (Tech.) Steam Courses	11	80 percent	20 percent
Civil	4	3	1
Mechanical	3	2	1
Electrical	4	3	1
	<u>11</u>		

(7) TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) KALANIKETAN, JABALPUR

CLASS I

Principal Administrative & Teaching	1	..	100 percent
Head of Department Printing	2	✓	50 percent
Lecturers (Tech.) Kalaniketan, Jabalpur	10	80 percent	20 percent
Civil	1	1	--
Mechanical	1	1	--
Electrical	1	1	--
Mech. Draughtsmanship	1	1	--
Printing Technology	4	3	1
Fine Arts/App. Arts.	2	1	1
	<u>10</u>		

CLASS II

Asstt. Lecturers/Senior Instructors/ Technical Teachers	16	80 percent	20 percent
Civil	3	2	1
Mechanical	3	2	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Electrical	..	3	2	1
	Automobile	..	1	1	..
	Tele-Communication	..	1	1	..
	Printing	..	2	2	..
	Fine/Applied Arts	..	3	2	1
			<hr/> 16		

Class 1

Workshop Foreman, Kalaniketan, Jabalpur

100%

(8) TECHNICAL CADRE (ADMINISTRATIVE BRANCH) DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION/ M. P. BOARD OF TECHNICAL EDUCATION

Class

Director of technical Education	1	..	100% by transfer from the cadre of principal, Government Engineering Colleges.	100%
Dy. Directors/Dy. Secretary	5	..	50% By promotion from the Lecturer Tech. The Govt. However reserve the right to draft persons from another administrative cadre which in their opinion is appropriate in view of duties/responsibilities attached to each posts in the scale of 550-950.	50% by transfer from the cadre of Reader (Tech.) and Non-Tech. Engg. Colleges/Head of Department of polytechnics.

Class 11

Assistant Directors

4

100% from Lecturers (Non Tech.) of polytechnic if interested in administrative works. 50% from amongst suitable Superintendents of Directorate of Technical Education (for which policy is already approved by the Govt.) on merit-cum-seniority basis.

Assistant Secretary, M.P. Board of Technical Education

2

100% from Lecturers (Non-Technical) of polytechnics / Secondary Technical Schools if interested in administrative works. 50% from amongst the suitable Superintendents of M.P. Board of Technical Education and if suitable candidates are not available in M. P. Board of Technical Education then from Directorate of Technical Education on merit-cum-seniority basis

SCHEDULE III

Name of Deptt.	Name of Service	Minimum age limit	Upper age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Education</i>	-- <i>Technical Cadre</i> <i>Class I</i>	..	Not more than 45 years.	A post graduate Degree in Engg. in the Subject or equivalent thereof with about 7 years experience in teaching/ administration of technical education/ Research/ Works/Practical of which about 5 year should be in teaching in Engineering College.	
	Professors Technical			OR	
	Govt. Engg. College.			At least Second class degree in the subject or equivalent thereof with about 10 years experience in teaching/ administration of Technical Education/ Research/ Works/ Practical / of which about 5 years should be in teaching in an Engg. College. Preference will be given to candidate possessing post Graduate Degree.	
				OR	
				For Appl. Geology.	Ist or IInd class post Graduate Degree in Applied Geology or equivalent thereof with minimum of 7 years teaching or Research experience out of which 5 years should be in teaching in an Engg. College. Preference would be given to the candidates having higher qualification.
	Readers Govt. Engg. Colleges.		.. Not more than 40 years.		Post graduate degree in Engg. Or equivalent thereof with about 3 years experience in teaching/ Research works/ practical/ administration of Technical Education of which about one year of teaching in an Engineering College.

OR

At least IInd class degree in appropriate branch of Engineering or equivalent thereof with about 5 years experience in teaching /Research/ Works/ Practical/ Administration of Technical Edn. out of which about one year should be in teaching in an Engg. College. Preference will be given to the candidates possessing post graduate degree.

For Appl. Geology.

IInd class post graduate degree in pure or Applied Geology or equivalent thereof with about (atleast) 3 years teaching and or practical experience in the field of Applied Geology and specialized knowledge of Geo-physics and or Geo-Chemistry.

Lecturers Technical 21
in Engg. Colleges.

30

A first class B.E. IInd class B.E. with 1 year's experience.

Asstt. workshops
Superintendents in Engg.
Colleges.

Not more than
30 years.

At least IInd class B.E. or B.Sc. Degree in mech. Engg. or equivalent thereof with about 1 year's practical experience.

Note—The qualification of A.M.I.E. (passed Section 'A' and 'B') will be considered equivalent to a IInd class Degree.

OR

At least IInd class Diploma in Mech. Engg. or equivalent thereof with about 5 years experience out of which 2 years in workshop of repute.

✓ For Printing Technology 26 Not more than 40 years.
(In Kalanaketan, Jabalpur)

Inter Science (Preferably B. Sc.) Diploma in Printing with 7 years practical experience in Printing Industry.

For Mining and Metallurgical Engg. in the Poly. 26 Not more than 40 years.

At least IInd Degree in Engg. in the subject or equivalent thereof with about 3 years teaching/Research/Practical/Works experience.

Pharmacy in Polytechnics... 26 Not more than 40 years.

At least II class degree in pharmacy or equivalent thereof with about five years teaching/Research experience. Preference will be given to the candidates possessing post Graduate degree.

Architectural Draughtsman-ship in Women Poly. 26 Not more than 40 years.
Bhopal.

At least Second Class B. Arch or N. D. in Arch. with 5 years teaching/Professional experience.

Costume Design & Dress making in Women Poly. 26 Not more than 40 years.
Bhopal.

At least IInd class B. Sc. Degree in Textiles and clothing with 3 year teaching/Professional experience.

Medical Lab. Technology in Women Polytechnic, Bhopal. 26 Not more than 40 years.

M. B. B. S. with 5 years experience out of which 2 years should be in pathology or Bacteriology department.

OR

M. D. equivalent in pathology with 3 years experience.

Secretarial practice & Stenography in Women Polytechnic, Bhopal. 26 Not more than 40 years.

At least IInd class Masters Degree in Commerce or business management with 1st degree in commerce with 3 years of experience of teaching.

OR

Second class Commerce degree with Diploma in Secretaryship of Company Law Board with 5 years experience out of which 3 years experience should be in teaching. *Desirable*; Candidates should have knowledge and experience conducting surveys and/or organising the department.

... posts the promotee will have to fulfil the academic qualifications prescribed for the promotion posts.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Lecturers (Technical) in 21 Not more than 30 years.
Govt. Polytechnics and Kalaketan, Jabalpur.

Ist class degree in Engg. OR
IInd class Degree in Engineering or equivalent thereof with one year teaching/practical experience.

NOTE. The qualification of A. M. I. E. (pass section 'A' and 'B' of A. M. I. E.) will be considered as equivalent to a Second class Degree.

OR
Ist class diploma in respective branch of Engg. with five years teaching / practical experience out of which 3 years should be in teaching.

OR
IInd class Diploma in respective branch of Engg. with 6 years teaching / practical experience out of which 4 years should be in teaching. Preference would be given to the candidate having degree in engineering.

Lect. Non-Technical. 21 Not more than 30 years.
Physics, Chemistry & Math.s in Govt. Polytechnics.

Essential. Ist or 2nd Class Master's degree. Preferential. Preference would be given to the candidates having teaching experience.

Lecturer in English .. 21 Do.

At least post graduate degree with 3 years experience of teaching in Polytechnic/Engg. Colleges/Higher Secondary Schools/Secondary Technical School or in Degree Colleges.

Lecturer in Pharmacy .. 21 Not more than 30 years.

Post graduate degree in the subject.

OR
Ist class degree in the subject with one year experience.
OR
Bachelors degree with 3 years experience.

Asstt. Lect. / Jr. Lecturer/ 21
Sr. Instructor/Technical
Teacher of Govt. Poly

No more than 30 years. At least a degree in Engg. in the subject or equivalent thereof.

OR

Asstt. Lect. / Jr. Lecturer/ 21
Sr. Instructor/Technical
Teacher of Govt. Poly-
technics, & Kalamketan,
Jabalpur.

No more than 30 years. At least a degree in Engg. in the subject or Equivalent thereof.

OR

At least IInd class Diploma in the subject or equivalent thereof and about 3 years professional / teaching experience.

Workshop Superintendent
in Polytechnics.

Not more than 35 years

At least second class B. E. or B. Sc. Engg. in (Mech.) Engg. and about one year practical experience.

OR

Ist or Second class Diploma with 5 years experience out of which 3 years should be in workshop of repute.

NOTE,—the qualification of A. M. I. E. (pass section 'A' and 'B' of A. M. I. E.) will be considered as equivalent to Second class degree.

Asstt. Workshop Supdt.
Polytechnics.

Do.

A. degree in Mechanical Engineering or equivalent thereof.

OR

At least IInd class Diploma in Mech. Engineering with 3 years professional/teaching experience.

Superintendent Govt.
Secondary Technical
School, Class II.

Not more than 40 years.

B. E. Mechanical /Elect. Engg. or equivalent thereof with about one year professional/teaching experience.

OR

At least IInd class Diploma in Mech. or Elect. Engg. or equivalent thereof and about 5 years experience in administration of Technical Education/Workshop or in teaching out of the period of experience required about 3 years will be in teaching.

Note: For all the teaching posts the promotee will have to fulfil the academic qualifications prescribed for the promotion posts.

Secrets 530-856 Technical/
275-575-(Non-Tech.)

(1,

(2)

(3)

(4)

(5)

NOTE:—The qualification of A. M. I. E. (presently 'A', and 'B' of A. M. I. E.) would be considered as equivalent to a second class degree.

Lecturer, (Technical) Secondary Technical School, class II including Lecturers Technical Stream courses.

Not more than 30 years.

Degree in respective branch of Engg. or equivalent thereof.

OR

Diploma in respective branch of Engg. or equivalent thereof and 3 years practical/Teaching experience.

NOTE:—The qualification of A. M. I. E. will be considered equivalent to a degree in Engg.

W/S. Foreman, S. T. S. . . . Do.

Diploma in Mech, Engg. or equivalent thereof with about 3 years experience in Workshop of ref. etc.

✓ Lecturer (Tech.)

For Architectural Draughts- 21
manship.

Not more than 30 years.

Ist or IInd class B. Arch. or N. D. in Arch. with one year experience for Ist class and 2 years experience for IInd class.

✓ For Medical Lab. Techno- 21
logy.

Do.

Atleast IInd class M. B. B. S. or equivalent thereof with 1 year professional experience, or M. B. B. S. or M. Sc. in Biochemistry/Chemistry or equivalent thereof with 3 years' experience of teaching in similar courses.

✓ For Printing . . . 21

Do.

Inter Science. Diploma in Printing with five years practical experience in Printing Industry.

For Fine and Applied Arts 21

Do.

Diploma in Arts preferably in Ist class from a recognised Institution or equivalent thereof.

For Fine and Applied Arts 21 Do.

Diploma in Arts preferably in 1st class from a recognised Institution or equivalent thereof with 3 years' teaching or professional experience in commercial or applied Arts.

Lecturer Non-Technical

For Secretarial practice and Stenography. 21 Do.

11nd class Masters Degree in Commerce or Business Management with 1st class degree in Commerce with 1 years' teaching experience. *Preferable.*—
Diploma in Stenographer.

For Costume Design and Dress Making. 21 Do.

11nd class Bachelors degree in Home Science with specialisation in Textile and Clothing. *Desirable.*—
Masters Degree in Textile and Clothing or teaching experience.

**Asstt. Lecturer/Jr. Lecturer/
Sr. Instructor.**

For Medical Lab. Technology. 21 Do.

M. Sc. in Chemistry with 2 years' experience in Medical Laboratory/Teaching.

For Architectural Draughtsmanship. 21 Do.

B. Arch. or N. D. in Architecture or Diploma in Arch. or equivalent thereof with 3 years' experience in Teaching / Practical.

For Secretarial Practice and Stenography. 21 Do.

At least 11rd class Masters Degree in Commerce or 1st class Degree in Commerce with Diploma in Hindi / English Stenography.

OR

11nd class B. Com. with Diploma in Stenography Hindi/English with 2 years' experience.

(3)

(4)

(5)

(6)

OR

11nd class Intercommerce with 7 years' experience of Stenography in an important position as stenographer to Head of Department or equivalent in Business organisation.

For Costume Design and Dress Making. 21 Not more than 30 years.

At least 11nd class Bachelors Degree with specialisation in Tailoring and Instructors Certificate in Tailoring from recognised institute.

OR

Matriculation with Tailor Master's Diploma or equivalent qualifications. Professional experience of minimum 5 years in an reputed tailoring establishment. The candidate should be able to give instructions in English. Preference will be given to candidate who have qualification in embroidery and needle work in addition to above qualifications.

For Printing Technology - 21

Do.

Inter Science, Diploma in Printing with 3 years' practical experience in Printing Industry.

For Fine and Applied Arts 21

Do.

At least 11nd class Diploma in appropriate branch of Arts from a recognised institutions with 2 years' teaching/professional experience.

(6)

(1)

Lecturer, Technical Engg. Colleges 350-850/Head of Departments 600-1000. and Lecturers Technical 350-850 of Polytechnics.

(2)

Lecturers Technical 250-600 (old) Engg. Colleges and Polytechnics.

Lecturer Technical Polytechnics 350-850.

Lecturers Non- Technical, Engg. Colleges, 350-850/Professors Degree Colleges 550-950.

Lecturers Non-Tech. Polytechnics, 275-575 Assst. Professors 360-700.

Lecturers Non- Tech. S. T. S. 250-450.

Assistant Workshop Superintendent, Engg. Colleges, 350-850, Workshop Superintendent, Polytechnics 350-850.

Asstt. Workshop Superintendent, Polytechnics 260-500/Superintendent, S. T. S. (Mech. Branch) 360-700.

(3)

Readers Technical Engg. Colleges 600-1150.

Lecturer Technical Engg. Colleges 350-850.

Head of Deptt. Polytechnics 600-1000.

Readers Non-Technical Engg. Colleges 600-1150.

Lecturers Non-Technical, Engg. College 350-850.

Lecturers Non- Tech. Polytechnics, 275-575.

Workshop Superintendent, Engg. Colleges 600-1150.

Workshop Superintendent Poly. 350-850. & Assstt. Workshop Supdt. Engineering College 350-850, Workshop Foreman kalaniketan, Jabalpur (350-850).

(4)

1. Chairman of P.S.C. or any member of the P.S.C. nominated by him.
2. Education Secretary.
3. Director of Technical education.
4. Two Senior Principals of Engg. College.

Do.

Do.

Do,

Do.

Do.

Do.

Do

Workshop Foreman, S. T. S. 200-580, Lecturer

Superintendent, S. T. S. 360-700.

Workshop Foreman, S. T. S. 300-580, Lecturer Technical S. T. S. of Mech. and Elect. Branch 300-580

Lecturer Technical, Polytechnics/ Kalamiketan, Jabalpur 350-850/-

Jr. Lecturers/Jr. Lecturers/Sr. Instructor/ Technical Teachers poly. excluding Women Polytechnic and Kalamiketan, Jabalpur 260-500 and Superintendent, S. T. S. 360-700/-

Asstt. Workshop Supt. Polytechnics, 260-500/- Asstt. Lecturer/Jr. Lecturer, Sr. Instructor, Polytechnic 260-500/Workshop Foreman and Lect. S. T. S. 300-580 and Lecturer Stream Courses in S. T. S. (275-475) Asstt. Lecturer/ Sr. Instructor/ Technical Teacher Kalamiketan, Jabalpur (260-500).

Do

Principal, Kalamiketan, Jabalpur 600-1000.

Kalamiker + Jabalpur

Lecturer Technical Polytechnic, 350-850 and Kalamiketan, Jabalpur (Degree holders)

Do

Head of Deptt. Printing 600-1000.

Lecturer Printing 350-850.

Do

Asstt. Lecturer/Sr. Instructor Printing and Fine and Applied Arts 260-500/-

Lecturer Printing and Fine and Applied Arts 350-850.

Lecturers 350-850 Technical/ 275-575 (Non-Tech.)

Women Polytechnic Bhopal: Asstt. Lecturer/Jr. Lecturers/Sr. Instructors 260-500.

Note: For all the teaching posts the promotee will have to fulfil the academic qualifications prescribed for the promotion posts.

(1)

Administrative Posts

Lecturers Technical Engg. colleges and polytechnics 350-850/However the Govt. Services the right to draft persons from another administrative cadre which in their opinion is appropriate in view of duties/responsibilities attached to each post.

Lecturers Non-technical 275-575 of polytechnics and Superintendents of Directorate of Technical Education.

Lecturers Non-Technical 275-575 of Polytechnics/ Lecturers non-technical (250-450) of Secondary Technical School and Superintendents of M. P. Board of Technical Education and Directorate of Technical Education.

Head Clerk of Engineering Colleges polytechnics 160-240.

(2)

Dy. Director of Technical Education and Dy. Secretary, M.P.B.T.E., 600-1150/CC-1000 for technical if drawn from Tech. cadre 550-950 for non-technical.

Asstt. Director Technical Education (275-700)

Asstt. Secretary, M. P. Board of Technical Education (275-700)

Registrar, Engineering Colleges, 275-475.

(3)

1. Chairman of the P.S.C or any member of P.S.C nominated by him.
2. Education Secretary.
3. Director of Technical Education.

Do.

Do.

Do.

कार्यालय, मंत्रालय, ताम्रिक शिला,
शुभमदेव भौमल

✓ Workshop Foreman, S. T. S. 300-580, Lecturer Technical S. T. S. of Mech. and Elect. Branch 300-580.	Superintendent, S. T. S. 360-700.	Do
✓ Asstt. Lecturers/Jr. Lecturers/Sr. Instructor/ Technical Teachers poly. excluding Women Polytechnic and Kalaniketan, Jabalpur 260-500 and Superintendent, S. T. S. 360-700/-	Lecturer Technical., Polytechnics/ Kalaniketan, Jabalpur 350-850/-	Do
Jr. Instructor Polytechnic and Kalaniketan, Jabalpur 160-300/Master Instructor S. T. S. 190-300 and Draughtsman 170-315 plus S. P. Rs. 25/- P.M.	Asstt. Workshop Supdt. Polytechnics 260-500/- Asstt. Lecturer/Jr. Lecturer, Sr. Instructor, Polytechnic 260-500/Workshop Foreman and Lect. S.T.S. 300-580 and Lecturer Stream Courses in S. T. S. (275-475) Asstt. Lecturer/ Sr. Instructor/ Technical Teacher Kalaniketan, Jabalpur (260-500).	Do
✓ Kalaniket 4, Jabalpur ..	Lecturer Technical Polytechnic, 350-850 and Kalaniketan, Jabalpur (Degree holders)	Do
Lecturer Printing 350-850.	Head of Deptt. Printing 600-1000.	Do
✓ Asstt. Lecturer/Sr. Instructor Printing and Fine and Applied Arts 260-500/-	Lecturer Printing and Fine and Applied Arts 350-850.	Do
Women Polytechnic Bhopal: Asstt. Lecturer/Jr. Lecturers/Sr. Instructors 260-500.	Lecturers 350-850 Technical/ 275-575-(Non-Tech.)	Do

Note: For all the teaching posts the promotee will have to fulfil the academic qualifications prescribed for the promotion posts.

(1)

Administrative Posts

(2)

Lecturers Technical Engg. colleges and polytechnics 350-350/However the Govt. Services the right to draft persons from another administrative cadre which in their opinion is appropriate in view of duties/responsibilities attached to each post.

Lecturers Non-technical 275-575 of polytechnics and Superintendents of Directorate of Technical Education.

✓ Lecturers Non-Technical 275-575 of Polytechnics; Lecturers non-technical (250-450) of Secondary Technical School and Superintendents of M. P. Board of Technical Education and Directorate of Technical Education.

Head Clerk of Engineering Colleges polytechnics 160-240.

(3)

Dy. Director of Technical Education and Dy. Secretary, M.P.B.T.E., 600-1150/600-1000 for technical if drawn from Tech. cadre 550-950 for non-technical.

Asstt. Director Technical Education (275-700)

Asstt. Secretary, M. P. Board of Technical Education (275-700)

(4)

1. Chairman of the P.S.C or any member of PSC nominated by him.
2. Education Secretary.
3. Director of Technical Education.

Do.

Do.

Registrar, Engineering Colleges, 275-475.

Do.